[ 2022 ] 2 एस. सी. आर 13

पी ए पी पी यू

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

( आपराधिक अपील सं। 1097-1098 2018 का)

फरवरी 09,2022

[ ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

सी. टी. रविकुमार, जेजे]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 376 , 302 , 201 – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। 5 , 6 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी ने लीची फल लेने के बहाने एक सात साल की लड़की को अपने साथ जाने के लिए लुभाया-इसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और शव को नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया-ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय

समवर्ती रूप से निष्कर्षों को दर्ज किया गया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम था जिसके कारण निर्विवाद निष्कर्ष कि अपीलार्थी पीड़ित बच्चे के बलात्कार और हत्या के अपराधों के साथ-साथ उसके मृत शरीर को छिपाने का भी दोषी था-मूल तथ्य, जैसा कि अपीलार्थी के खिलाफ साबित हुआ कि मृतक को अंततः अपीलार्थी के साथ देखा गया था जब वह अन्य बच्चों को भगाते हुए मृतक को अपने साथ ले गया था-बोझ आरोपी पर था कि वह अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने के बाद अपने ठिकाने की व्याख्या करे

और यह दिखाने के लिए कि क्या, और कब, मृतक अपनी कंपनी से अलग हो गया और साथ ही मृत शरीर के स्थान के बारे में उसकी जानकारी का कारण भी-अपीलार्थी निस्संदेह एस द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। 106 साक्ष्य अधिनियम-यह परिस्थिति एक है

महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि साबित हुआ, यह था कि पीड़ित बच्चे का शव अपीलार्थी के कहने पर नदी के किनारे के पास एक दूर के स्थान पर बरामद किया गया था-अपीलार्थी संतोषजनक रूप से समझाने में विफल रहा अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने के बाद से उसका ठिकाना और शव के स्थान के बारे में उसकी जानकारी

तथ्यों और कारकों को चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ मिलाकर परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाई गई, जिससे अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्ष निकला-एस. एस. के तहत अपराधों के अपीलार्थी की सजा। 376 , 302 , 201 आईपीसी और एसएस। 5 / 6 पॉक्सो बरकरार है।

[ 2022 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सजा/सजाः सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या अपराध की जघन्य प्रकृति जैसे कि वर्तमान में

सात साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या, निश्चित रूप से भयावह परिस्थितियों का खुलासा करती है, विशेष रूप से जब इसके करने का तरीका भ्रष्टता दिखाता है और विवेक को झकझोर देता है-लेकिन, साथ ही, यह मानते हुए कि अपीलार्थी का कोई अपराधी नहीं था

अतीत, एक बहुत ही गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आया था, जिसमें एक परिवार था जिसमें पत्नी, बच्चे और वृद्ध पिता शामिल थे, और निर्दोष जेल आचरण, सुधार की संभावना और

अपीलार्थी के पुनर्वास से इंकार नहीं किया गया है-इसलिए, मामला है

माना जाता है कि यह 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता है-फिर भी, समग्र रूप से समाज की अंतरात्मा पर विचाराधीन अपराधों का प्रभाव

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-वर्ष 2015 में अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 1 वर्ष थी-समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी को अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना न्यायसंगत और उचित माना जाता है। 302 आई. पी. सी. एक के लिए वास्तविक कारावास का प्रावधान करते हुए

5 , 6 . प्रमाणः बाल गवाह-साक्ष्य में गवाह विसंगतियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि-प्रशंसा की प्रक्रिया में

साक्ष्य, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उसकी गवाही से उभरने वाले मामले के सार को देखा कि वह वास्तव में इस तथ्य की गवाह थी कि मृतक बच्चे को आखिरी बार लड़की के साथ देखा गया था।

अपीलार्थी जब वह उसे लीची फार्म की ओर ले गया -

बाल गवाह की गवाही तथ्यों के संबंध में स्पष्ट है और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, भले ही समय और घंटों की उसकी समझ परिपक्वता में कम प्रतीत हो-दस से ऐसी परिपक्वता की उम्मीद करना अवास्तविक होगा।

देहाती पृष्ठभूमि से आने वाला एक साल का बच्चा।

भारत का संविधानः कला. 134 और कला। 136 - समवर्ती निष्कर्ष-हस्तक्षेप-दायरा-किसी भी निर्णय/अंतिम निर्णय के विपरीत

उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में आदेश या सजा,

अनुच्छेद में निर्दिष्ट संभावनाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में नियमित अपील की परिकल्पना की गई है। 134 भारत के संविधान और एस। 2 सर्वोच्च न्यायालय का (आपराधिक अपील का विस्तार) क्षेत्राधिकार) अधिनियम, 1970-वर्तमान मामला पी. ए. पी. पी. यू. v के अंतर्गत नहीं आता है।

उत्तर प्रदेश राज्य

- वर्तमान अपीलें भारत के संविधान के Art.136 के संदर्भ में विशेष अनुमति द्वारा की जाती हैं-विशेष अनुमति द्वारा एक अपील में, जहां निचली अदालत और उच्च न्यायालय समवर्ती रूप से तथ्य के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।

साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष का विरोध नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी अन्य मंच के रूप में निपटा जा सकता है-निश्चित रूप से, यदि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या किसी अन्य मामले में दूषित कहा जा सकता है।

न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना गंभीर स्थिति का कारण बनती है

पूर्वाग्रह या अन्याय, उच्चतम न्यायालय, और उचित मामलों में, न्याय की गंभीर या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ऐसा पाठ्यक्रम केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह स्पष्ट है कि किसी भी निर्णय/अंतिम निर्णय के विपरीत

उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में आदेश या सजा,

इस न्यायालय में नियमित अपील की परिकल्पना की गई है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 में निर्दिष्ट संभाव्यताएँ

और उच्चतम न्यायालय की धारा 2 (अपराध का विस्तार)

अपीलीय क्षेत्राधिकार) अधिनियम, 1970। वर्तमान एक नहीं है

इसके अंतर्गत आने वाले मामले और वर्तमान अपीलें निम्नलिखित हैं -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में विशेष अवकाश। विशेष अनुमति द्वारा ऐसी अपील में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है

न तो इसका विरोध किया जा सकता है और न ही इस तरह की अपील को साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी अन्य मंच के रूप में देखा जा सकता है। बेशक, यदि परीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि से दूषित होने के लिए कहा जाता है या

साक्ष्य का गलत अध्ययन या न्यायिक मानदंडों की अवहेलना

गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया को रोकने के लिए यह न्यायालय उचित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है न्याय का गंभीर या गंभीर गर्भपात लेकिन, ऐसा पाठ्यक्रम है

केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में अपनाया गया। संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है। यह न्यायालय शुद्ध [2022] 2 एस. सी. आर. पर आधारित तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

साक्ष्य का मूल्यांकन और न ही इन अपीलों का दायरा यह है कि यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग विचार लिया जा सके।

और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित। [ पैरा 20] [65-एफ-एच; 66-ए-सी]

2018 का नंबर 186 26.11.2021 पर तय किया गया-जिस पर भरोसा किया गया। 2. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने एक साथ

निष्कर्षों को अभिलिखित किया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम रहा है जिससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पीड़ित बच्ची के बलात्कार और हत्या के अपराधों के साथ-साथ उसके मृत शरीर को छिपाने का भी दोषी है। चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ तथ्यों और कारकों को परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला कहा जाता है, जिससे अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्ष निकाला जाता है। [ पैरा 21] [66-सी-डी, एफ]

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य ( 1984 ) 4 एससीसी 116: [ 1985 ] 1 एस. सी. आर. 88; हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्यः ए. आई. आर. 1952 एससी 343: [ 1952 ] एससीआर 1091-पर निर्भर था।

3. यह सच है कि बच्चे-गवाह पीडब्लू-3 ने कहा जैसे कि वह घटनास्थल पर गई थी और 10 बजे शव को देखा थाः 00 ए. एम. में

सुबह लेकिन तब, कथित बाल-गवाह अपने बयान के समय लगभग 10 साल की थी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रही थी। समय के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से अपरिष्कृत या शौकिया थी, जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि बयान के दूसरे भाग में, उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे के बाद, वह और अन्य बच्चे 5 घंटे तक खेलते रहे। उनके द्वारा समय के बारे में इस तरह की कथा में स्पष्ट रूप से आवश्यक परिपक्वता और समझ की कमी थी। साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसकी गवाही से उभरने वाले मामले के सार पर ध्यान दिया है कि वह वास्तव में एक गवाह पी. ए. पी. पी. यू. बनाम थी।

उत्तर प्रदेश राज्य

इस तथ्य के लिए कि मृत बच्चे को आखिरी बार कंपनी में देखा गया था

जब वह अपीलार्थी को लीची फार्म की ओर ले गया। [ पैरा 24.2] [75-डी-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम। काशी रामः ( 2006 ) 12 एससीसी 254:

[ 2006 ] 8 पूरक। एस. सी. आर. 501-निर्भर।

डी. के. बसु बनाम डब्ल्यू. बी. की स्थिति : ( 1997 ) 1 एससीसी 416: [ 1996 ]

10 पूरक। एस. सी. आर. 284; रम्मी उपनाम रामेश्वर बनाम। राज्य

एम. पी. (1999) 8 एस. सी. सी. 649: [ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 1

—

अप्रयोज्य रखा गया।

4. पीडब्लू-1 द्वारा शिकायत में किया गया स्पष्ट दावा,

पीड़ित बच्चे की माँ, कि उसके विश्वास के अनुसार, बच्चे के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और मृत शरीर को अपीलार्थी द्वारा छुपाया गया था, को भी इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है कि उसे अपीलार्थी के बारे में जानकारी थी कि वह शाम को अपनी बेटी को ले गया था और पूरी रात अपनी बेटी की तलाश कर रहा था। यह इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि वह निस्संदेह एक देहाती ग्रामीण थी और यहाँ तक कि किसी और से शिकायत भी लिखवाती थी। फिर से, साक्ष्य की सराहना की प्रक्रिया में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उसकी पृष्ठभूमि पर सचेत रूप से ध्यान देते हुए उसकी गवाही से उभरने वाले मामले के सार और मूल को देखा है। इसके अलावा, यह भी कि पीडब्लू-1 के साथ कौन पुलिस स्टेशन गया, यह एक ऐसा कारक नहीं है जिसके लिए एफ़. आई. आर. को पूर्व-समय पर लिया जा सकता है। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 में एकरूपता थी कि वे दोनों उनके पास गए थे। 14.05.2015 के दोपहर के समय से पहले पुलिस स्टेशन। बेशक, पीडब्लू-7 के बयानों में यह सामने आया है कि पीडब्लू-4 पीडब्लू-1 के साथ पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन इतना छोटा

संबंधित पुलिस स्टेशन में तैनात उक्त पुलिस अधिकारी के बयान में होने वाली विसंगति रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य को ओवरराइड नहीं कर सकती है। इसके अलावा, वह वह व्यक्ति था जो

एफ. आई. आर. दर्ज की गई और इस गवाह को कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले किसी ने शव देखा था। इसी तरह, पीडब्लू-8, आईओ शुरू में

जिरह में कहा गया है कि उसने जांच संभालने के बाद अगले दिन शिकायतकर्ता का बयान लिया लेकिन

इसके बाद, उन्होंने खुद को यह कहने के लिए सही किया कि उन्होंने उनका बयान [2022] 2 एस. सी. आर. लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला दर्ज होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे। इस पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा भी विधिवत ध्यान दिया गया है और

पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों की ओर से गलती और जो रिकॉर्ड पर अन्य सभी सामग्री को रद्द नहीं कर सकती है। [ पैरा 24.3,24.4] [75-एफ-एच; 76-ए-ई] 5. विचारण न्यायालय में कोई दुर्बलता नहीं है और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से अभियोजन मामले का निष्कर्ष निकालते हुए साबित किया कि

13.05.2015 , शाम के लगभग साढ़े छह बजे, जब मृतक पीडब्लू-3 और गाँव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, अपीलार्थी ने रुपये दिए। 20 पी. डब्ल्यू.-3, बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए।

इन मिठाइयों को उनके बीच वितरित करने के बाद, मृतक को अपीलार्थी द्वारा यह सुझाव देकर लुभाया गया कि वे एक साथ जाएं और खेत से लीची तोड़ें। जब अन्य बच्चों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, तो उसने उन्हें डांटकर दूर भेज दिया, उठाया और मृतक को अपनी पीठ पर रख दिया, और खेत की ओर चला गया। बाल गवाह पीडब्लू-3 की गवाही इन तथ्यों के संबंध में स्पष्ट है और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, भले ही समय और घंटों की उसकी समझ परिपक्वता में कमी प्रतीत हो। ऐसी उम्मीद करना अवास्तविक होगा।

मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था। वास्तव में, साक्ष्य स्पष्ट रहे हैं कि यह केवल अपीलकर्ता ही था जिसने मृतक को अपने साथ जाने के लिए लुभाया और इसके बजाय मृत बच्चे को अपनी पीठ पर ले गया। पीडब्लू-2 ने इस तथ्य की भी गवाही दी है कि उसने अपीलार्थी को मृत बच्चे को घर की खिड़की से ले जाते देखा था। घर खड़े थे और पीडब्लू-1, मृतक बच्चे की माँ बैठी थी। यह पीडब्लू-1 के बयान को भी स्पष्ट करता है कि उसने अपीलार्थी को मृत बच्चे को लेते हुए भी देखा था।

पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 द्वारा यह भी लगातार कहा गया है कि तलाशी लेते समय वे वास्तव में अपीलार्थी के घर पहुंचे, जहाँ उसकी पत्नी ने कहा कि वह झगड़ने के बाद बाहर गया था। बेशक, पीडब्लू-2 ने कहा कि वह पिछली आधी रात को अपीलार्थी से मिली थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि पीडब्लू-1 नहीं थी। उस समय उसके साथ यह भी बताया गया है कि महिलाएं पुलिस से संपर्क करने के लिए कदम नहीं उठा सकीं क्योंकि संबंधित

बीच की रात में उनके साथ कोई सहायक व्यक्ति नहीं था। [ पैरा 27] [78-ई-एच; 79 ए-ई]

पी. डब्ल्यू.-4 और पी. डब्ल्यू.-8 आई. ओ. सहित प्रासंगिक गवाहों के साक्ष्य द्वारा साबित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के आई. ओ. ने जांच के कागजात सावधानीपूर्वक तैयार नहीं किए हैं और यहां तक कि मृत शरीर की खोज और अपीलार्थी की गिरफ्तारी का ज्ञापन भी एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था (उदा. का-2)। हालाँकि, उक्त दस्तावेज़ का एक अवलोकन पूर्व। का-2, संबंधित द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया पीडब्लू-4 और पीडब्लू-8 10 सहित गवाह यह स्पष्ट करते हैं कि प्रासंगिक तथ्य इससे स्थापित होते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आई. ओ. द्वारा ज्ञापन तैयार करने में केवल अनियमितता अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के तथ्य को गलत नहीं ठहराएगी जिससे शव की खोज हो सकती है। [ पैरा 28] [79-एफ-एच]

7. जब 'अंतिम बार देखा गया' साक्ष्य ठोस और भरोसेमंद होता है

जो यह स्थापित करता है कि मृतक को अंत में आरोपी के साथ जीवित देखा गया था; और इसके साक्ष्य के साथ जोड़ा गया है

अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी पर, अभियुक्त पर यह बोझ है कि वह मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के बाद अपना ठिकाना बताए और यह बताए कि क्या, और कब, मृतक अपनी कंपनी से अलग हो गया और साथ ही शव के स्थान के बारे में उसकी जानकारी का कारण भी बताए। अपीलार्थी निस्संदेह इस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है। अपीलार्थी के ऐसा करने में विफल रहने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना अपरिहार्य है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा। यह परिस्थिति, इसलिए, श्रृंखला में एक और मजबूत कड़ी प्रदान करती है

अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियाँ। दी गई परिस्थितियों में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि धारा 29 पॉक्सो द्वारा परिकलित अनुमान लागू हुआ और बोझ अपीलार्थी के पास रहा और यह उसके लिए था कि वह इस धारणा का खंडन करे और यह साबित करे कि उसने ऐसा नहीं किया था अपराध। अपीलार्थी एहि भारक निर्वहन करबामे असफल रहल अछि। [ पारस 31,32] [80-डी-जी, एच; 81-ए]

नूर आगा बनाम। पंजाब और अन्न राज्य। : ( 2008 ) 16 एससीसी 417 [2008] 10 एससीआर 379; जस्टिन बनाम। भारत संघ और ओआरएस। : 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4956; राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम। राजस्थान राज्यः ( 2013 ) 5 एस. सी. सी. 722 [2013] 8 एस. सी. आर. 599-लागू नहीं है।

8. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने बताया था कि मृतक के अंडरवियर पर 'शुक्राणु और शुक्राणु' के निशान पाए गए थे। भले ही उक्त रिपोर्ट 10.08.2016 पर तैयार की गई हो, लेकिन इसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और उक्त रिपोर्ट पर संदेह के साथ विचार करने का कोई कारण नहीं है। प्रासंगिक वस्तुओं को वास्तव में सील कर दिया गया था जैसा कि साक्ष्य में साबित हुआ था और उसी सीलबंद स्थिति में प्रयोगशाला में पहुंचा था। उन्नयन की कथित इच्छा और

पुलिस स्टेशन में वस्तुओं को सील करने के लिए परिष्कृत सुविधाएं पुलिस स्टेशन और जांचकर्ता द्वारा अन्यथा कानूनी रूप से संचालित कार्यवाही को ओवरराइड और रद्द नहीं कर सकती हैं। अधिकारी। किसी भी मामले में, यह तर्क देना भी दूरगामी है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले आरोप पत्र में आरोपित नहीं किया जा सकता था। उक्त रिपोर्ट केवल

पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य लेकिन अन्य तथ्य सीधे अभिलेख पर उपलब्ध, विशेष रूप से पी. ए. पी. पी. यू. v की शर्तों के अनुसार।

उत्तर प्रदेश राज्य

सात वर्षीय बालिका का मृत शरीर, जैसा कि स्थल पर देखा गया है और फिर भीषण चोटों के प्रासंगिक पहलू, जिनमें शामिल हैं जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है, निजी अंगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। [ पैरा 35] [82-ए-डी]

रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम। रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड और ओआरएस। ( 2009 ) 9 एससीसी 709: [ 2009 ] 14 एस. सी. आर. 424-लागू नहीं होता है।

9. इस मामले में प्रस्तुत करने की एक अजीब सी बात यह रही है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु 2 से 3 दिनों में हुई थी

परीक्षण से पहले और उस राय में मृत्यु का समय अंतिम बार देखे गए साक्ष्य से भी बहुत पहले लग जाता या यह कि मृत शरीर को अपीलार्थी के कहने पर उसके बरामद होने से बहुत पहले अन्य व्यक्तियों द्वारा देखा गया होगा। परीक्षण से पहले मृत्यु के अनुमानित समय को, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है, गणितीय सटीकता के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। दोपहर में पोस्टमार्टम किया गया। 15.05.2015 ; और इस तरह की परीक्षा से दो दिन पहले का अनुमान उस सिद्ध समय से मेल खाता है जब मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, यानी लगभग 6: 30 13.05.2015 पर अपराह्न। वास्तव में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में संकेत केवल

प्रभाव कि अपीलार्थी ने बच्चे को कोई समय नहीं दिया और उसे साथ ले जाने के तुरंत बाद अपने कुकर्मों को अंजाम दिया। [ पैरा 36] [82-ई-जी]

10. यह आसानी से देखा जा सकता है कि जबकि इस न्यायालय ने क़ानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है

निवारक के साथ-साथ समाज के आह्वान के उचित जवाब में भी

उचित मामलों में उचित सजा लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत दूसरे को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं। समाज के दायित्व, अर्थात, मानव जीवन के संरक्षण के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो और समाज के अन्य सामाजिक कारणों और सामूहिक विवेक की सेवा करना हो। इससे 'दुर्लभतम से दुर्लभतम परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन है

[2022] 2 एस. सी. आर. के अधिकारों को कम करने में एक और मध्य मार्ग दृष्टिकोण का भी नेतृत्व किया।

आजीवन कारावास की सजा देते समय छूट या समय से पहले रिहाई, विशेष रूप से जब वर्तमान जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटा जाए। [ पैरा 41] [98-सी-ई]

11. अपराध की जघन्य प्रकृति जैसे कि वर्तमान में

सात साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या, निश्चित रूप से भयावह परिस्थितियों का खुलासा करती है, खासकर जब इसके कार्य करने का तरीका भ्रष्टता को दर्शाता है और विवेक को झकझोर देता है। लेकिन, साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह बहुत गरीब व्यक्ति से आता है।

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में पत्नी, बच्चे और बूढ़े पिता शामिल हैं और उनका जेल आचरण बेदाग है। जब इन सभी कारकों को एक साथ जोड़ा जाता है और यह भी देखा जाता है कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, तो इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आने के रूप में मानना असुरक्षित होगा। इसे अलग तरह से रखते हुए, जब अपीलार्थी को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं दिखाया जाता है और वह कठोर अपराधी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। उसका बेदाग जेल आचरण और पत्नी, बच्चों और बूढ़े पिता का परिवार होना भी उसके सुधार की संभावना की ओर संकेत करता है। हालांकि, और यहां तक कि जब वर्तमान मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं लिया जाता है, ताकि अपीलार्थी के जीवन की समाप्ति की आवश्यकता हो, तो इसका प्रभाव

समग्र रूप से समाज की अंतरात्मा पर सवाल उठाने वाले अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, समान प्रकृति के अपराधों से जुड़े विभिन्न मामलों में अपनाए गए पाठ्यक्रम को लागू करना उचित और उचित प्रतीत होता है, जहां मृत्युदंड को कम करते समय भी, इस न्यायालय ने समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। अपराध के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 33-34 वर्ष थी।

2015 में। समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दंड देना न्यायसंगत और उचित होगा।

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को आजीवन कारावास जबकि न्यूनतम वास्तविक कारावास का प्रावधान है। 30 वर्ष की अवधि। [ पैरा 43.1,44,45] [99-एफ-एच; 100-ए-बी, ई-एच] पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

12. आई. पी. सी. की धारा 376,302,201 और पी. ओ. सी. एस. ओ. की धारा 5/6 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा को छोड़कर उसे दी गई सजा की पुष्टि की गई है। मृत्यु.

आई. पी. सी. की धारा के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को दी गई सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि अपीलार्थी 30 (तीस) साल के वास्तविक कारावास से गुजरने से पहले समय से पहले या छूट का हकदार नहीं होगा। [ पैरा 46] [101-ए-सी]

भारत संघ बनाम। वी. श्रीहरण उपनाम मुरुगन और अन्य। : ( 2016 ) 7 एससीसी 1: [ 2015 ] 14 एस. सी. आर. 613 का अनुसरण किया गया।

कालू खान बनाम। राजस्थान राज्यः ( 2015 ) 16 एस. सी. सी. 492; बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्यः ( 1980 ) 2 एस. सी. सी. 684; मो. मन्नान उपनाम अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्यः ( 2019 ) 16 एससीसी 584: [ 2019 ] 8 एस. सी. आर. 266; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्यः ( 2019 ) 12 एससीसी 460: [ 2018 ] 14 एससीआर 585; माची सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्यः ( 1983 ) 3 एससीसी 470: [ 1983 ] 3 एस. सी. आर. 413 धनंजय चटर्जी उपनाम धना बनाम। डब्ल्यू. बी. की स्थिति : ( 1994 ) 2 एससीसी 220: [ 1994 ] 1 एससीआर 37; एम. ए. एंटनी बनाम। केरल राज्यः 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2800; लक्ष्मण

नाइक बनाम। उड़ीसा राज्यः ( 1994 ) 3 एससीसी 381: [ 1994 ] 2 एस. सी. आर. 94 कामता तिवारी बनाम एम. पी. का राज्य : ( 1996 ) 6 एससीसी 250: [ 1996 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 507; स्वामी श्रद्धानंद (2) v. कर्नाटक राज्यः ( 2008 ) 13 एससीसी 767: [ 2008 ] 11 एस. सी. आर. 93; जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 20: [ 1973 ] 2 एस. सी. आर. 541; रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम। गुजरात राज्यः ( 2009 ) 5 एससीसी 740: [ 2009 ] एस. सी. आर. 1055 रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ (2) बनाम। की स्थिति

गुजरात (2011) 2 एससीसी 764: [ 2011 ] 1 एस. सी. आर. 829; अशोक देबबर्मा उर्फ अचक देबबर्मा बनाम। त्रिपुरा राज्यः

( 2014 ) 4 एससीसी 747: [ 2014 ] 4 एस. सी. आर. 287; शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्यः ( 2021 ) 1 एस. सी. सी. 596; रविशंकर उपनाम बाबा विश्वकर्मा बनाम। मध्य प्रदेश राज्यः ( 2019 ) 9 एससीसी 689: [ 2019 ] 14 एस. सी. आर. 285; शंकर किसनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्यः ( 2013 ) 5 एससीसी 546: [ 2013 ] 6 एस. सी. आर. 949-पर निर्भर था।

सुदर्शन और अन्र। वी. महाराष्ट्र राज्यः ( 2014 ) 12 एससीसी 312 [2014] 6 एससीआर 437; अंजन कुमार सरमा और ओआरएस। वी. असम राज्यः ( 2017 ) 14 एससीसी 359: [ 2017 ] एस. सी. आर. 991; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधूः ( 2005 ) 11 एससीसी 600: [ 2005 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79; अघनू नागेसिया वी. बिहार राज्यः [ 1966 ] 1 एस. सी. आर. 134; अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलूच बनाम। गुजरात राज्यः ( 2009 ) 11 एससीसी 625 [ 2009 ] 4 एस. सी. आर. 956; गुड्डु उपनाम द्वारिकेंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2013) 16 एससीसी 596: [ 2013 ] 11 एस. सी. आर. 293; पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम। जॉन डेविडः ( 2011 ) 5 एससीसी 509: [ 2011 ] 7 एससीआर 354-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[ 2014 ] 6 एससीआर 437

पैरा 12.

संदर्भित किया गया है

[ 1985 ] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 22.

[ 2017 ] एससीआर 991

पैरा 12 '।

संदर्भित किया गया है

[ 2005 ] 2 पूरक। एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा 12.

[ 1996 ] 10 पूरक। एससीआर 284

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 24.5

अप्रयोज्य रखा गया

[ 1999 ] 3 पूरक। एससीआर 1

पैरा 24.5

[ 2013 ] 8 एससीआर 599

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 33

[ 1966 ] 1 एससीआर 134

संदर्भित किया गया है

पैरा 12 '।

[ 2009 ] 4 एससीआर 956

संदर्भित किया गया है

पैरा 12.

[ 2009 ] 14 एससीआर 424

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 35

अप्रयोज्य रखा गया

[ 2008 ] 10 एससीआर 379

पैरा 32

( 1980 ) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 13.2

[ 2019 ] 8 एससीआर 266

उस पर भरोसा करें

पैरा 13.2

[ 2018 ] 14 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 13.

[ 2013 ] 11 एससीआर 293

पैरा 13.

संदर्भित किया गया है

( 2015 ) 16 एससीसी 492

उस पर भरोसा करें

पैरा 40.

[ उत्तर प्रदेश का राज्य

उस पर भरोसा करें

पैरा 13.4। 4

उस पर भरोसा करें

पैरा 13.4। 4

पीछा किया।

पैरा 40.5

पैरा 15.1

संदर्भित किया गया है

01

उस पर भरोसा करें

पैरा 22.13

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.1

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.2

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.2

उस पर भरोसा करें

07

पैरा 16.2

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

उस पर भरोसा करें

पैरा 19.2

उस पर भरोसा करें

पैरा 19.3

उस पर भरोसा करें

पैरा 19.4

उस पर भरोसा करें

पैरा 22.1

उस पर भरोसा करें

पैरा 40.1। 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 40.4

उस पर भरोसा करें

पैरा 40.4

उस पर भरोसा करें

पैरा 40.7

निर्वाचक मंडलः आपराधिक अपील और 2016 के उच्च न्यायालय के दिन संदर्भ No.13 का दिनांकित 06.10.2017 आदेश और कैपिटल केस

सीनियर एड. , सुश्री जेमटीबेन एओ, विभोर जैन, सुश्री एकर, सिद्धार्थ, अमित कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता। एजी, सुश्री अलका सिन्हा, बी. एन. दुबे, अनुव्रत

तेजतर्रार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री की तालिका *

प्रारंभिक।

..... 2

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू।

. 6

अभियोजन साक्ष्य।

9

रक्षा संस्करण और साक्ष्य।

..19

निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई

..... 19

उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि की अपीलार्थी। ... .....

..... 24

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ।

..... 28

इन अपीलों का दायरा और विस्तार।

..... 46

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षः क्या इन अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

..... 52

क्या मृत्युदंड कायम रखा जाए या प्रतिस्थापित किया जाए

कोई अन्य वाक्य।

..... 76

..... 96

निष्कर्ष।

प्रारंभिक

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें 2016 के संदर्भ संख्या 13 और कैपिटल में दिनांकित 06.10.2017 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं। 2016 का मामला सं. 6601 जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय में

इलाहाबाद ने 2015 के सत्र मामला संख्या 414 में दिनांक 07/08.12.2016 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जैसा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 2, कुशीनगर द्वारा पारित किया गया है। और, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376,302,201 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है।

* सामग्री की तालिका मूल निर्णय के अनुसार है। 1 'आई. पी. सी.', संक्षेप में।

2 ' पॉक्सो ', संक्षेप में।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

1.1 . आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा के अलावा, अपीलार्थी को एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 20,000 /

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत अपराध के लिए। इसके अलावा, उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। 10,000 / - आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए; कठोर

वर्ष और रुपये का जुर्माना। 10,000 / - धारा 5/6 पॉक्सो के तहत अपराध के लिए। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में और कारावास का प्रावधान करते हुए यह भी निर्देश दिया गया है कि जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा मृतक लड़की की मां को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

2. इन अपीलों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के साथ-साथ उसे दी गई सजा, विशेष रूप से मृत्युदंड, को चुनौती दी गई है। आवश्यक विवरणों में मामले से निपटने से पहले, हम आगामी चर्चा की रूपरेखा को इंगित करने के लिए एक संक्षिप्त रेखाचित्र बना सकते हैं।

2.1 . अपीलार्थी पर सात साल के बच्चे को लुभाने का आरोप लगाया गया है

लड़की लीची के फल लेने के बहाने उसके साथ जाने के लिए; उसके बाद उसने बच्चे के साथ बलात्कार किया; उसकी मौत का कारण बना; और शव को डेढ़-चौथाई किलोमीटर की दूरी तक घसीटने के बाद नदी के किनारे एक पुल के पास फेंक दिया।

2.2 . अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था कि पीड़ित को अंततः अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

कि अपीलार्थी के कहने पर उसका मृत शरीर बरामद किया गया था; कि अपीलार्थी अपने ठिकाने और मृत शरीर के स्थान के बारे में अपने ज्ञान को संतोषजनक रूप से समझाने में विफल रहा था; और यह कि चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य आरोप के अनुरूप थे। इसके विपरीत, अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि भूमि विवाद के कारण मृतक के परिवारों और अन्य गवाहों के साथ दुश्मनी के कारण उसे झूठा फंसाया गया था।

2.3 . ट्रायल कोर्ट, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष पुष्टि करने में सक्षम था

सन्देह से परे यह साबित करते हुए कि अपीलार्थी मृतक को लीची फल तोड़ने और खाने के लिए लुभाकर अपने साथ ले गया था, बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी, और शव को नदी के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया। इस प्रकार, अपीलार्थी को 07.12.2016 दिनांकित निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया था। अगले दिन, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को सजा के सवाल पर सुना; और अपीलार्थी द्वारा किए गए जघन्य अपराध को देखते हुए, सजा में कोई भी दया दिखाना अनुचित पाया और इस प्रकार, अलग-अलग [2022] 2 एस. सी. आर. दिए गए।

अपराध के लिए मृत्युदंड सहित दंड

आई. पी. सी. की धारा 303। 2.4 . दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के संदर्भ में उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए मौत की सजा प्रस्तुत की गई थी।

19733. दूसरी ओर, अभियुक्त-अपीलार्थी ने निचली अदालत के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील की। मौत की सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ मामले और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील दोनों पर एक साथ विचार किया गया, जहां उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया और भूमि विवाद के कारण शत्रुता के लिए गलत अभियोजन की बचाव कहानी को खारिज करते हुए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर निष्कर्षों की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर आगे विचार किया और अपराध की प्रकृति के संदर्भ में, सात साल की बच्ची के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में, वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला' पाया, जहां मौत की सजा को 'प्रमुख रूप से वांछनीय' माना जाता था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और मौत की सजा सहित उसे दी गई सजा की पुष्टि की।

2.5 . वर्तमान अपीलों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर अनिवार्य रूप से इस तर्क के साथ सवाल उठाया गया है कि प्रासंगिक कारक हैं

एफ. आई. आर. की पूर्व-तिथि का संकेत; कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था; कि अपीलार्थी के कहने पर शव की खोज की कहानी भी स्थापित नहीं हुई थी; और यह कि चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए निर्णायक नहीं थे। अपीलार्थी को दी गई सजा पर भी सवाल उठाया गया है, अनिवार्य रूप से इन दलीलों के साथ कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में मौजूद कम करने वाली परिस्थितियों की जांच नहीं की है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह परिस्थितियों की एक कमजोर श्रृंखला का मामला है; और यह कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह एक गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसमें पत्नी और बच्चे सहित परिवार के सदस्य उस पर निर्भर हैं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि तथ्यों के उचित मूल्यांकन के आधार पर अपीलार्थी के अपराध पर समवर्ती निष्कर्ष, किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं। यह भी कहा गया है कि

अपराध की घृणित प्रकृति में मौत की सजा को उचित ठहराती है वर्तमान मामला जहां अपीलार्थी, लगभग 35 वर्ष की आयु का एक वयस्क व्यक्ति, एक सात वर्षीय लड़की को लुभाता है और क्रूर बलात्कार और हत्या करता है।

3 'सी. आर. पी. सी.', संक्षेप में।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

2.6 . इस प्रकार, इनमें निर्धारण के लिए दो प्रमुख बिंदु उत्पन्न होंगे।

अपीलः पहला, कि क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि किसी हस्तक्षेप की मांग करती है; और दूसरा, यदि अपीलार्थी की दोषसिद्धि बनी रहती है, कि क्या अपीलार्थी को दी गई मृत्युदंड की सजा को बनाए रखा जाना चाहिए या किसी अन्य सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? 3. उपरोक्त रूपरेखा के साथ, हम आवश्यक विवरणों में प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं।

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

4. वर्तमान मामले में अभियोजन का आधार एक शिकायत में था (उदा. का-1) पीडब्लू द्वारा प्रस्तुत किया गया-1 मनोज हरिजन की पत्नी निशा, पुलिस स्टेशन कास्या, जिला कुशीनगर में 14.05.2015 पर लगभग

12: 35 अपराह्न, इन आरोपों के साथ कि पिछली शाम, लगभग 06 बजेः 30 शाम को, उसकी सात साल की बेटी, जब अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी पड़ोस, अपीलार्थी पप्पु द्वारा दक्षिणी तरफ ले जाया गया था

लीची तोड़ने के बहाने घर से बाहर निकलते हुए, अन्य बच्चों को भगा देते हुए; और उसकी बहन पी. डब्ल्यू.-2 अनीता और कई पड़ोसियों ने अपीलार्थी पप्पु को अपनी बेटी को ले जाते हुए देखा था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा

कि अंधेरा होने के बाद, उसने अपनी बेटी की तलाश की जो कहीं नहीं मिली और अपीलकर्ता पप्पु भी नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे इस बात की प्रबल आशंका है कि अपीलार्थी ने ऐसा किया था

4 यह संकेत दिया जा सकता है कि इस मामले के मूल रिकॉर्ड में प्रासंगिक दस्तावेज और बयान हिंदी भाषा में हैं। अंग्रेजी भाषा में अनुवादित संस्करणों में, जैसा कि हमारे सामने रखा गया है, कई स्पष्ट त्रुटियां हैं जहां शब्द और यहां तक कि वाक्य भी समझ से बाहर हैं। हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील की सहायता से रिकॉर्ड को स्कैन किया है और इस निर्णय में निष्कर्षण, जहां तक संभव हो, मूल में पाठ के सही अनुवाद और अर्थ के करीब हैं। 5 मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय में निष्कर्षण और अन्य सभी स्थानों पर पीड़ित का नाम हटा दिया गया है और इसके स्थान पर 'आम' शब्द रखा गया है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" को,

एस. एच. ओ,

पीएस-कास्या

साहब,

यह अनुरोध किया जाता है कि शिकायतकर्ता निशा श्री मनोज के साथ,

जाति-हरिजन एक गाँव है-सबाया खास, पीएस-कास्या, जिला

कुशीनगर। कल शाम यानी 13.05.2015 पर मेरी बेटी

मेरी उम्र लगभग 7 साल है और मैं पड़ोसी राजेंद्र के साथ खेल रहा था।

धोबी की बेटी अशना, मिश्री की बेटी रिंकू और अन्य बच्चे

मेरे गाँव और मेरी जाति के पप्पु पुत्र श्री राम प्रीत ने मुझे ले लिया बेटी मैं उसके साथ घर के दक्षिण की ओर हूँ

लीची तोड़ने का बहाना। उन्होंने अन्य बच्चों को टॉफी दी।

पड़ोसियों ने उसके साथ खेला और उन्हें मौके से भगा दिया। मेरा।

छोटी बहन अनीता और कई पड़ोसियों ने पप्पु को ले जाते देखा था।

मेरी बेटी को छोड़ दो। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो मैंने शुरू कर दिया

अपनी बेटी को खोजने के लिए। जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, मेरे

बहन अनीता और पड़ोसियों ने बताया कि पप्पु उसे घर ले गया था।

दक्षिण की ओर लीची का बाग। मैं पप्पु के घर गया।

मेरी बेटी लीची तोड़ने के बहाने उसके साथ है और उसने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी मौत का कारण बना और उसे छिपा दिया

किसी सुनसान जगह पर लाश। यह अनुरोध किया जाता है कि रिपोर्ट दर्ज की जाए

और उचित कार्रवाई की जाए।

शिकायतक

र्ता

एसडी/

- निशा

नाम-निशा डब्ल्यू/ओ मनोज हरिजन

गाँव-सब्या खास

पीएस-कास्या

जिला-कुशीनगर

तिथि-14.05.2015 "

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद,

पुलिस स्टेशन हाउस अधिकारी ने मुकदमा अपने हाथ में ले लिया

ओ ', संक्षेप में।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

स्टेशन कास्या, ज्ञानेंद्र नाथ शुक्ला (पीडब्लू-8) 7; पीडब्लू 1 निशा का बयान दर्ज किया गया; और अपीलार्थी की तलाश शुरू की गई। एस. एच. ओ. ने अपीलार्थी के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त की और ऐसी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पाया। अभियोजन पक्ष का यह मामला रहा है कि पूछताछ किए जाने पर, अपीलार्थी ने घटना स्थल के साथ-साथ उस स्थान का भी खुलासा किया जहां शिकायतकर्ता की बेटी का शव हिरणमती नदी के तट पर पुल के पास फेंका गया था। उसके खुलासे के आधार पर मृतक के कपड़ों के साथ शव बरामद किया गया। द. जाँच अधिकारी ने आवश्यक ज्ञापन, योजनाएँ और रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपीलार्थी की ओर से इस मामले में ऐसे ज्ञापन और रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित कुछ पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनकी हम बाद में जांच करेंगे।

5.1 . पीडब्लू-6 डॉ. हिमांशु कुमार द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में शव पर ग्यारह घाव पाए गए और यह राय दी गई कि

मृत्यु पूर्व शव परीक्षण चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी। 6. जाँच की अन्य प्रक्रियाओं के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ 12.08.2015 पर आरोप-पत्र दायर किया गया था और मामले को प्रतिबद्ध किया गया था

सत्र न्यायालय जहाँ अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 376,302,201 और पी. ओ. सी. एस. ओ. की धारा 3/4 (बाद में धारा 5/6 पी. ओ. सी. एस. ओ. में सुधार) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

अभियोजन साक्ष्य

7. अपीलार्थी के खिलाफ मामले की सुनवाई 2015 की सत्र सुनवाई संख्या 414 के रूप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 2, के समक्ष की गई थी। कुशीनगर, पडरौना। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की और 19 दस्तावेज पेश किए। आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक साक्ष्य की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं।

7.1 . पीडब्लू-1 निशा, मृतक-बच्चे की माँ, अपनी जाँच-इन-चीफ में निम्नानुसार अपदस्थ की गईः -

" ..... पप्पु गौतम ने फोन किया था और मेरी बेटी अमागेद को 7 साल की उम्र में अपने साथ ले गया था। 30/7 : 00 . सबसे पहले उन्होंने टॉफी खिलाई।

7 1 इसके बाद 'जाँच अधिकारी' या 'आई. ओ.' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लीची तोड़ने के बहाने उसे गाँव में दक्षिण की ओर ले गया।

मेरी बेटी अन्य बच्चों के साथ दरवाजे पर खेल रही थी।

जब (उन्होंने) फोन किया और मेरी बेटी, मेरी बहन और अन्य लोगों को साथ ले गए

जो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे और मैंने उसे देखा था। जब

लड़की घर नहीं लौटी, हम पूरे समय उसकी तलाश करते रहे रात में लेकिन व्यर्थ। जब मुझे अपनी बेटी नहीं मिली, तो मैंने एक

शिकायत मिलने के अगले दिन पुलिस स्टेशन कास्या में

जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पप्पु के पास था

मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद उसे फेंक दिया देवरिया रोड पर नदी का तट जहाँ दाह संस्कार किए जाते हैं

प्रदर्शन किया।

जब मुझे अपनी बेटी नहीं मिली, तो मैंने पप्पु से पूछताछ की।

घर पर तब उसकी पत्नी ने कहा कि उसे नहीं पता कि पप्पु कहाँ था

झगड़ने के बाद चला गया। पप्पु शराब पीता था। मुझे पता है।

जब पुलिस ने पप्पु को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, तो पप्पु को पता चला

मृत शरीर बरामद किया गया। मेरे जीजा (जीजा) और मेरे चाचा ( बड़े पापा) ने शव की पहचान की। जब मामला दर्ज किया गया,

एस. आई. ने मेरे बयान दर्ज किए थे। मैंने भी जगह दिखाई थी एस. आई. जहाँ से लड़की को साथ ले जाया गया था।



7.1. 1 . क्रॉस-परीक्षा में उसकी गवाही का प्रासंगिक भाग

डी को नीचे पढ़ा गया हैः

" ... मैंने एक शिक्षित लड़के से शिकायत लिखवाई थी। आई.

रोते हुए पुलिस स्टेशन आ रहा था तो ये लड़का मुझसे मिला

रास्ता। मैंने उन्हें लिखने के लिए कहा, उन्होंने लिखा। मैं पुलिस के पास गया था

लगभग 11-12 (दिन के समय) पर स्टेशन। बहन और मैं गए थे

पुलिस स्टेशन और कोई और नहीं गया था।

क्यू: किस समय और किस दिन आपकी सिटर अनीता ने आपको बताया था कि

क्या आपकी बेटी गायब है?

ए: पप्पु उस लड़की को 6:30 बजे अपने साथ ले गया था।

डेढ़-डेढ़ घंटे तक खोजबीन की। फिर (हम) पप्पु के पास गए थे

पूछताछ करने के लिए घर, उसकी पत्नी ने बताया कि उसका पति बाहर है

झगड़ने के बाद शाम से।

अनीता और मैंने पप्पु को लड़की को ले जाते देखा था। पुलिस /

चौकीदार/प्रधान को पहले सूचित नहीं किया गया था-सबसे पहले लड़की को खोजबीन की गई। हम पूरे समय लड़की की तलाश कर रहे थे

रात को। मेरे जीजा (जीजा) और पिता ने इसकी जानकारी दी थी।

लड़की की मौत। जब पुलिस ने पप्पु को गिरफ्तार किया था, तभी आई पी. ए. पी. पी. यू बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पता चला कि मेरी बेटी की मौत हो गई है। मैंने अपने जीजा की सलाह पर पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं दी थी। घटना के समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने पप्पु को कहाँ से गिरफ्तार किया था। जिस समय पप्पु को गिरफ्तार किया गया था, मैं घर पर था। मुझे एक लड़के द्वारा डिक्टेशन पर लिखी गई शिकायत मिली थी। उन्होंने उतना ही लिखा था जितना मैंने निर्देशित किया था। मैं इस बात से संतुष्ट था कि मेरी शिकायत में भी यही लिखा है।

जो मैंने आदेश दिया था। मैंने एस. आई. को भी वही बात बताई थी जो मुझे शिकायत में लिखी गई थी। हम दोनों (मेरी बहन और मैंने) ने पप्पु को लड़की को साथ ले जाते देखा था। अगर दरोगाजी ने ऐसा नहीं लिखा होता

अपने बयान में मैं इसका कारण नहीं बता सका। अगर दारोगाजी ने यह बात लिखी थी कि मेरी बहन ने पप्पु को मेरे बच्चे को साथ ले जाते देखा था, तो यह सही है। मैंने दरवाजे पर सुना और देखा था कि पप्पु टॉफी और लीची के बहाने लड़की को अपने साथ ले जा रहा है। आई. मैंने अपनी शिकायत में लिखा था कि मेरा मानना है कि यह पप्पु ही है जो मेरी बेटी को साथ ले गया है-यह बात सच है क्योंकि पप्पु मुझसे पहले मेरी बेटी को साथ ले गया था।

क्यू: जब आपने पप्पु को अपनी बेटी को साथ ले जाते देखा, तो इसके बावजूद आपने अगले दिन देरी से शिकायत की। क्या आप बता सकते हैं कि कारण।

ए: सबसे पहले, मैं अपनी बेटी की तलाश करता रहा, जब मैंने किया

उसे न ढूंढने पर मैंने अगले दिन शिकायत दर्ज कराई।

मैं रात भर पूरे गाँव में अपनी बेटी की तलाश करता रहा। मैं घर-घर खोजता रहा।

गाँव। मैं किसका नाम बताऊं? मैं गाँव के लोगों को पहचानता हूँ। मैं रात भर खोजता रहा। कैसे हो सकता है के नाम

क्या मैं लोगों को बताता हूँ? मैं पूरे गाँव के लोगों के नाम नहीं बता सकता। पप्पु कई दिनों तक शराब पीता है। मुझे नहीं पता कि वह कहीं नशे की हालत में गिरता है या नहीं, लेकिन वह शराब पी लेता है। पप्पु रोज शराब पीता है। इस घटना से पहले, हमारे पप्पु के घर के साथ सामान्य संबंध थे। मैं शव देखने गया था। पहले तो मैं पुल पर ही गया था और उसके बाद पुलिस स्टेशन गया था। जब पप्पु को गिरफ्तार किया गया, तब शाम के पाँच से छह बज रहे थे। घटना के अगले दिन शव बरामद किया गया। कब

मैंने लड़की को देखा, उसकी एक आँख निकल गई थी, आँख के नीचे की नस भी निकल रही थी, पैर भी टूट गया था। पशुओं ने शव को नहीं खाया था। मेरी बेटी की गर्दन भी

मुड़ा हुआ।

यह कहना गलत है कि मैंने पप्पु को गलत तरीके से फंसाया था

गाँव की दुश्मनी के लिए "।

7.2 . पीडब्लू-2 अनीता (मृतक की मौसी)

पीडब्लू-1 की गवाही दी। उनके दावों के प्रासंगिक भाग

जाँच-इन-चीफ निम्नानुसार होगीः -

" घटना 6 बजे 13.05.2015 की हैः 30 पीएम। 7 साल की मेरी बहन की बेटी अमागेद अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।

उसे टॉफी लाने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों को टॉफी वितरित की। और फिर सभी बच्चों को वहाँ से भगा दिया। इसके बाद वह रुक गया।

पुल। पप्पु गौतम ने मेरी बहन की बेटी अमीन के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को छिपा दिया था। उसे "।

7.2. 1 . अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह पीडब्लू-2 अनीता ने कहा

देरः

" ..... मेरी खिड़की से उस जगह तक की दूरी जहां बच्चे खेल रहे थे, 4-5 कदम है। जब मैं बच्चों को देख रहा था।

खेल रहा था। मेरी बहन वहाँ बैठी थी जहाँ मैं था।

खड़े थे। मैंने अपनी बहन को एक घंटे के बाद बच्चे के लापता होने के बारे में बताया था। हमने डेढ़-डेढ़ घंटे के बाद लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। पप्पु गौतम बच्चे को दक्षिण की ओर ले गया था। हम पहले लीची के बाग में गए और उसके बाद पप्पु के घर गए। पप्पु घर पर नहीं था। हम पप्पु की पत्नी से घर पर मिले जिन्होंने बताया कि वह नहीं जानती थी

जहाँ पप्पु झगड़ा करके चला गया था। जब हम वहाँ पहुँचे रात के लगभग 1 बजे प्रधान का घर, पप्पु घर आया, उसके पैर और कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। जब हमने पूछा, पप्पु

उसने कहा कि वह बच्चे को नहीं ले गया था।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

जब हम रात में लगभग 12 बजे पप्पु से पूछताछ कर रहे थे, तो प्रधानजी वहां मौजूद नहीं थे। हम पहले भी प्रधानजी से मिल चुके थे।

पप्पु प्रधानजी के घर आया और फिर हम उनके घर चले गए। जमालुद्दीन अंसारी उस समय प्रधान थे। हम जब तक प्रधानजी के घर गए, तब तक पप्पु के पिता भी आ चुके थे।

और हमने कहा कि हम पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जा रहे हैं तो पप्पु के पिता ने सलाह दी और हमें यह कहकर पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया कि अगर वह कहीं गया होता तो वह वापस आ जाएगा। उस समय मेरी बहन निशा मेरे साथ नहीं थी। यह जानने के बाद कि पप्पु उसके घर आया था, हम पुलिस स्टेशन नहीं गए क्योंकि हमारे घर पर केवल लड़कियां मौजूद थीं और कोई अभिभावक नहीं था ताकि हम पुलिस स्टेशन के लिए निकल सकें। आई.

सही समय याद नहीं है लेकिन यह 10.00 से 10.30 था। केवल

निशा और मैं देने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।

जानकारी दी। जब हम पहुँचे तो पप्पु सलाखों के पीछे नहीं था।

पुलिस स्टेशन।

जानकारी देने के कितने समय बाद, शव बरामद किया गया था, हमें याद नहीं है। बाद में जब पुलिसकर्मी

पप्पु को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि

बच्चे का शव वहाँ था। पूरे गाँव के लोग चिल्ला रहे थे कि वहाँ शव मिला था-जब मेरे जीजा ने शव उठाया, यह मेरा शव था। बहन की बेटी.. घटना से पहले मेरे घर और पप्पु के घर के बीच कोई झगड़ा आदि नहीं हुआ था। यह गलत है।

यह कहना कि गुटबाजी के कारण पप्पु को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। "

7.3 . पीडब्लू-3 आशना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने बयान के समय लगभग 10 वर्ष की थी, एक सक्षम गवाह पाई गई। उसने पदच्युत कर दिया कि

अपीलार्थी ने उसे रुपये दिए। 20 मिठाइयाँ लाना और उन्हें अन्य बच्चों में वितरित करना। वह रुपये की मिठाइयाँ लेकर आई। 4 , शेष राशि अपीलार्थी को वापस कर दी और टॉफ़ी वितरित कर दी। जबकि

पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की पुष्टि करते हुए, इस बच्चे-गवाह ने आगे कहा कि

अपीलार्थी ने मृतक को लीची तोड़ने के लिए खेत में अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। जब अन्य बच्चों ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, तो अपीलार्थी ने उन्हें डांटा और भगा दिया। उन्होंने आगे कहा कि सुबह,

यह पता चला कि आम की हत्या कर दी गई थी और फेंक दिया गया था; और उसने दारोगाजी को यह तथ्य बताया था।

7.3. 1 . इस बच्चे-गवाह पीडब्लू-3 आशना की जिरह से उभरने वाले कुछ पहलुओं को प्रस्तुतियों के दौरान रेखांकित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से, विशेष रूप से उस स्थान के संबंध में जहां बच्चे खेल रहे थे और पीड़ित बच्चे के शव को देखने के समय के संबंध में। हम इस गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताए गए प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो इस प्रकार हैंः -

... ..... रामप्रवेश के दरवाजे पर खेल खेल रहा था। आम का घर गिरता है

रामप्रवेश के घर के पीछे एक घर और बीच में बबलू का घर है। पप्पु का घर रामप्रवेश के घर के बगल में है। पप्पु ने शाम को 7 बजे हमें डांटा और उसके बाद हम राम परवेश के दरवाजे पर खेलने लगे और लगभग 5 घंटे तक खेलते रहे। इसके बाद हम घर लौट आए। जिस समय हम खेल रहे थे, मैं वहां था। खुद मेरी बेटी

पिता के बड़े भाई, मेरे मामा की बेटी और मेरे मौसी की

बेटी वहाँ थी; हम सब घर वापस चले गए। जब मैं पप्पु से मेरे घर पर मिला, तो उस समय मेरी मां, पिता, भाई और मैं मौजूद थे। मेरे पिता ने पप्पु से बात नहीं की। ( वह) आम को ले गया जिसे मेरे माता और पिता ने देखा था। इसके बाद मैं आम से नहीं मिला। सुबह उठने के बाद मुझे जानकारी मिली कि आम की मृत्यु हो गई है। आम की मृत्यु की जानकारी बहन और जीजा ने दी थी और जब जीजा (जीजा) ने उक्त तथ्य बताया तो उस समय उनकी बहन सुनीता थी।

उपस्थित हैं।

जब अनीता और सुनीता ने बताया कि मैं मर चुका हूँ तो मैं उनके साथ लगभग 10 बजे उस जगह गया जहाँ

आम का शव पड़ा हुआ था। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे और उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। मेरे जीजा मुझे वहाँ ले गए, लेकिन मैं जीजा का नाम नहीं बता सकता; वह नीलम का पति है। उसी दिन पुलिस स्टेशन में मुझसे पूछताछ की गई और सब-इंस्पेक्टर को बताया गया कि मैं शव देखकर आया हूं।

7.4 . पीडब्लू-4 अम्बेडकर मृतक बच्चे के चाचा हैं और घटना वाले गांव-सब्या से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक स्थान पर रहते हैं। यह गवाह

दावा किया कि वह पी. डब्ल्यू.-1 से जानकारी मिलने के बाद सब्या पहुंची थी कि उसकी बेटी लापता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता पप्पु से उसके सामने आई. ओ. द्वारा पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अपीलकर्ता उस जगह को दिखाने के लिए सहमत हो गया जहां उसने बलात्कार करने के बाद बच्चे को फेंका था।

और हत्या। गवाह ने दावा किया कि पीड़ित का मृत शरीर और उसका पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

उसके सामने अपीलार्थी के कहने पर कपड़े बरामद किए गए थे। उन्होंने जाँच रिपोर्ट तैयार करने, गिरफ्तारी और बरामदगी के ज्ञापनों के बारे में भी गवाही दी और ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। का-2 और एक्स। का-3। अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह पीडब्लू-4 अम्बेडकर ने बताया कि वह बस से सब्या पहुंचे लेकिन अपने आगमन का समय बताने में असमर्थ थे। अपीलार्थी की गिरफ्तारी से संबंधित तथ्यों के संबंध में और

इस गवाह ने जिरह में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार कहाः -

66 ..... पुलिस दोपहर में पप्पु को ले आई। शायद मेरे आने से दो घंटे पहले पप्पु को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था

गिरफ्तारी का स्थान। मुझे याद नहीं है कि वहाँ मेरे अलावा किन लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे। जब मैंने अपने हस्ताक्षर किए, तो अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं थे। कब हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे, लगभग 40-50 व्यक्ति वहाँ एकत्र हुए थे। मैं अपने रिश्तेदार के घर आया था, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन मैं रिश्तेदारों से परिचित हूं। बरामद की गई पैंटी और टी-शर्ट अदालत के समक्ष नहीं हैं। पैंटी और टी-शर्ट को सील कर दिया गया और पुलिस स्टेशन में मुहर लगा दी गई और मुहर और मुहर लगाने की कार्यवाही के बाद हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। पैंटी काले रंग की थी। यह कहना गलत है कि मैंने घटना का स्थान नहीं देखा और कहा

पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने हस्ताक्षर करें। 99 "

7.5 . पोस्टमॉर्टम पीडब्लू-6 डॉ. हिमांशु कुमार द्वारा 15.05.2015 पर किया गया, जो 3 बजे शुरू हुआः 05 अपराह्न और 4 बजे समाप्त होता हैः 05 पी. एम पोस्टमॉर्टम परीक्षा रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण (उदा. का 11) निम्नानुसार हैंः -

" बाह्य परीक्षा

कठोर मृत्यु ऊपरी और निचला अंग मौजूद है।

बाहरी सामान्य उपस्थिति

जीभ फैला हुआ मुँह आंख (एल) बंद, आंख (आर) फैला हुआ।

बाहरी चोटें

( 1 ) आँख के (आर) पक्ष पर 5 सेमी x 3 सेमी संदूषण। ( 2 ) (आर) तरफ के चेहरे पर संदूषण 10 सेमी x 3 सेमी।

( 3 ) (आर) भुजा के पीछे के पहलू पर संदूषण 7 सेमी x 3 सेमी।

( 4 ) छाती के सामने की ओर 12 से. मी. x 5 से. मी. संदूषण।

( 5 ) गुदा पर 3 सेमी x 1 सेमी घाव।

( 8 ) बाल झड़ना (सिर पर)। ( 9 ) पूरे शरीर पर रोगाणु पाए जाते हैं।

( 10 ) (आर) पार्श्वीय क्षेत्र पर संदूषण 5 सेमी x 3 सेमी। ( 11 ) (एल) पार्श्वीय क्षेत्र पर संदूषण 3 सेमी x 2 सेमी।

XXX

XXX

XXX

खोपड़ी और खोपड़ी की हड्डियाँः दाएँ और बाएँ परिएटल क्षेत्र टूटा हुआ है

XXX

XXX

XXX

जननांग अंगः योनि में आँसू की स्थिति और थक्के पाए गए।

योनि के स्वाब को लिया जाता है और सील कर दिया जाता है और प्रयोगशाला में भेजा जाता है।

XXX

XXX

XXX रायः

1. मृत्यु के बाद का समयः लगभग 2 और 3 दिन।

( (i) मृत्यु का कारण और तरीका मौत रक्तस्राव के कारण हुई है।

रेत का झटका-एंटे-मॉर्टम चोट का परिणाम। 7.5. 1 . पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह राय दी गई थी कि संभावित समय

लगभग 2-3 दिन का समय था और मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव था। मृत्यु के संभावित समय से संबंधित कुछ कारक, जैसा कि इस गवाह 5 डॉ. हिमांशु कुमार के बयान में पाया गया है, नीचे दिए गए हैंः -

" उसकी मृत्यु का संभावित समय 2 से 3 दिनों के भीतर होगा।

2-3 दिनों के समय का मतलब है कि मृत्यु का संभावित समय हो सकता है पोस्टमॉर्टम से 48 घंटे से 72 घंटे पहले।

7.6 . पीडब्लू-8, ज्ञानेंद्र नाथ शुक्ला, जांच अधिकारी,

उनकी परीक्षा में प्रमुख ने कहा कि उन्हें संबंधित समय पर तैनात किया गया था पुलिस थाना कायसा के एस. एच. ओ., जब 2015 का मामला अपराध सं. 840

पीडब्लू-1 द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर पंजीकृत। उन्होंने तुरंत

जांच की और अपीलार्थी का पता लगाने का प्रयास किया। यह गवाह पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

आगे कहा कि उन्हें अपीलार्थी के स्थान के बारे में एक गुप्त सूचना मिली और इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने अपीलार्थी पप्पु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास गिरफ्तार कर लिया। पीडब्लू-8 ने बताया कि इसके बाद पप्पु गौतम से पूछताछ की गई। अपीलार्थी पप्पु द्वारा किए गए खुलासों और ज्ञापन तैयार करने के संबंध में उनकी गवाही का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार होगाः -

" ..... और जब उनसे शव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं शव बरामद करा सकता हूं। आरोपी पप्पु की ओर इशारा करते हुए, गवाहों की उपस्थिति में आम का शव बरामद किया गया।

अर्थात् सिरी पुत्र झागरू, अम्बेडकर पुत्र राम नागिन, इश्तियाक पुत्र जमालुद्दीन, जिनकी पहचान उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी। पूछा गया।

महिला सिपाही रिंकू यादव और सिपाही ओम प्रकाश को

एस. आई. राकेश कुमार सिंह को पंचायतनामा के लिए निर्देश दिया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बरामदगी स्थल के निरीक्षण के दौरान, एम की टी-शर्ट और अंडरवियर बरामद किए गए। अभियुक्त पप्पु की ओर इशारा करना। इसे कपड़े के एक टुकड़े में रखा गया था, सील और मुहर लगाई गई थी और वसूली ज्ञापन तैयार किया गया था। .....

7.6. 1 . अपीलार्थी की ओर से यह उचित रूप से इंगित किया गया है कि इस गवाह की गवाही के कुछ हिस्से पी. डब्ल्यू.-8 क्रूस पर परीक्षण, जैसा कि मूल अभिलेख में उपलब्ध है, अंग्रेजी अनुवाद में दिखाई नहीं दिया है, विशेष रूप से शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के समय के संबंध में। बयान के उस हिस्से के अनुसार, इस गवाह ने कहा कि उसने दोपहर लगभग 2 बजे जांच शुरू की।

14.05.2015 ; जाँच शुरू करने के लगभग आधे घंटे बाद वह पुलिस स्टेशन से चला गया और उस समय शिकायतकर्ता के साथ वाला व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस गवाह ने गवाही दी कि उसने जांच में प्रवेश करने के बाद अगले दिन शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया, लेकिन फिर कहा कि उसने घटना के दिन ही बयान दर्ज किया और फिर आगे कहा कि उसने दोपहर लगभग 2 बजे शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। ; कि बयान दर्ज करने में लगभग 20 मिनट का समय लगा और इसके लगभग ढाई घंटे बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे। इस गवाह ने अपीलार्थी के स्थान के बारे में गुप्त सूचना के बारे में आगे बयान दिया और कहाः -

" ..... अभियुक्त की गिरफ्तारी सीएचसी के पास सड़क पर हुई। मैंने मौके पर गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया। मैंने गिरफ्तारी ज्ञापन उस स्थान पर नहीं लिखा था जहाँ आरोपी पप्पु को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, मैंने गिरफ्तारी के स्थान पर गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना शुरू कर दिया।

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गिरफ्तारी ज्ञापन। कार्यवाही पूरी होने के बाद ज्ञापन तैयार किया गया था। अभियुक्त द्वारा बताए जाने पर मृतक का शव बरामद किया गया। इसके अलावा, मृतक के कपड़े। घटना स्थल से मृतक की कच्छी और टी-शर्ट बरामद की गई। इन सभी कार्यवाही को ज्ञापन में दर्ज किया गया था। यह कहना सही है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया गया था। लेकिन गिरफ्तारी ज्ञापन

वसूली ज्ञापन लिखे जाने के बाद तैयार किया गया था। अभियुक्त ने

ज्ञापन की प्रति उस स्थान पर नहीं सौंपी गई थी जहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ज्ञापन पूरी तरह से तैयार नहीं था

वहाँ। यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी के दौरान मैंने मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार आयोग के 50 सीआरपीसी के नियमों का पालन नहीं किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सच्चाई यह है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी, मृतक के शव और उसके कपड़ों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में मौखिक रूप से सूचित किया गया था।

पुलिस हिरासत में ले लिया गया। "

7.6. 2 . इस गवाह, आई. ओ. ने अपने क्रूस में आगे बताया

ज्ञापन तैयार करने के बारे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में

: -

" ..... गिरफ्तारी का ज्ञापन और बरामदगी का ज्ञापन समान और एक है; उनके पास अलग-अलग गवाह नहीं हैं। एक में अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापन, मृतक की कच्छी और टी-शर्ट की बरामदगी ज्ञापन और कच्छी की बरामदगी का उल्लेख है। गवाह फिर से कहा कि शव की बरामदगी ज्ञापन और शव की गिरफ्तारी (एस. आई. सी.) एक में है और मृतक की कच्ची बरामदगी का ज्ञापन एक है और आरोपी की कच्ची बरामदगी अलग-अलग ज्ञापन में है।

जिन पर सिरी और अम्बेडकर के हस्ताक्षर हैं। '998

7.6. 3 . इस गवाह, आई. ओ. ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट रेन्सिक साइंस लेबोरेटरी दाखिल करते समय प्राप्त नहीं हुई थी।

ई-शीट लेकिन उनके अनुसार, बलात्कार का अपराध बनाया गया था

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का अवलोकन।

पीडब्लू-8 के कथन के भाग में अभिव्यक्तियों का स्पष्ट रूप से अतिव्यापी होता है, यहाँ तक कि जिनल में भी; और इसके अनुवादित संस्करण में कई प्रश्न चिह्न भी होते हैं (?) जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है, ताकि इसे मूल संस्करण के जितना संभव हो उतना करीब पढ़ा जा सके।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

7.7 . इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

10.08.2016 ( Ex. के. ए.-19) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यू. पी. रामनगर, वाराणसी द्वारा तैयार मृतक के अंडरवियर पर 'शुक्राणु और शुक्राणु' पाए गए।

7.8 . इस मामले में दो और गवाह थे,

पीडब्लू-5 एसआई राकेश कुमार सिंह और पीडब्लू-7 एचसीपी नागेंद्र सिंह। पीडब्लू-5 राकेश कुमार सिंह ज्ञापन और रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में अपदस्थ हुए। पीडब्लू-7 नागेंद्र सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने बहनोई के साथ और एक हस्तलिखित शिकायत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जिसे 12 बजे जी. डी. नंबर 30 के रूप में विधिवत दर्ज किया गया थाः 35 इसके बाद 2015 की एफ. आई. आर. संख्या 840 दर्ज की गई। उन्होंने वास्तव में क्रॉस-परीक्षा में कहा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ नहीं था।

शिकायतकर्ता। उन्होंने यह भी कहा कि एस. एच. ओ. तुरंत जाँच के लिए रवाना हो गए और पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया; और शिकायतकर्ता के बहनोई का बयान भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। प्रासंगिक

पहलू

प्रतिपरीक्षा में उनकी गवाही इस प्रकार होगीः -

..... मामले की शिकायतकर्ता अपने साथ पुलिस स्टेशन आई थी

अपनी बहन (बहन के पति) अम्बेडकर के साथ। उसके पास था

मुझे शिकायतकर्ता दिया। उसकी बहनोई के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं

उसका साथ दे रहा था। एसएचओ भी वहां मौजूद थे। यह मामला एस. एच. ओ. द्वारा निर्देशित किए जाने पर इसे पंजीकृत किया गया था। जारी नहीं किया गया था

एफ. आई. आर. एस. एच. ओ. ने कहा था कि वह खुद इसकी जांच करेंगे। मामला। फिर उसका नाम मामले के आई. ओ. के रूप में लिखा गया। प्रतिलिपि

जी. डी. में प्रवेश करने में 10 मिनट लगेंगे और एफ. आई. आर. एस. एच. ओ. जांच के लिए तुरंत रवाना हो गए।

मामला दर्ज किया गया। एस. एच. ओ. ने बयान दर्ज किया था पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता। उनके बाहनोई का बयान

( बहन के पति) को भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रक्षा संस्करण और साक्ष्य

8. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में कहा,

अन्य बातों के साथ-साथ, कि उन्हें एक के तहत मामले में झूठा फंसाया गया था

षड्यंत्र; और यह कि आई. ओ. द्वारा की गई जाँच झूठी थी, जिसके अनुसरण में, एक झूठा आरोप पत्र दायर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.1 . बचाव पक्ष द्वारा एक गवाह, डी. डब्ल्यू.-1 शमीम से पूछताछ की गई। डी. डब्ल्यू.-1 ने अपनी जाँच में कहा कि वहाँ हंगामा हुआ था।

13 तारीख को गाँव और फिर अगले दिन, जब यह कहा गया कि पुल के पास एक शव पड़ा हुआ था। गांव वाले मौके पर पहुंचे और मृतक के शव की पहचान बच्चे के पिता ने की। इस गवाह ने कहा कि उसके बाद ही पुलिस आई और शव को हिरासत में ले लिया। गवाह ने आगे कहा कि राम प्रीत (अपीलार्थी के पिता) और राजेंद्र धोबी (पीडब्लू-3 के पिता) और मनोज (मृतक के पिता) की दुश्मनी के बारे में कुछ कलह थी जो राम प्रीत द्वारा गोकुल को बेची गई जमीन के एक टुकड़े के संबंध में थी; और पप्पु को गलत तरीके से फंसाया गया था।

निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई

वाक्य

9. मुकदमे के समापन के बाद और पक्षों को सुनने के बाद,

विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया; और अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी थी और

एक को जारी रखते हुए, अपीलार्थी के अपराध को घर लाना, जो धारा 29 पॉक्सो के तहत अनुमान का खंडन करने में सक्षम नहीं था। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया बालिका का बलात्कार और हत्या और साक्ष्य नष्ट करना; और मृत्यु सहित विभिन्न दंड दिए गए।

9.1 . पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही पर भरोसा करते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक बच्चा मृत व्यक्ति के साथ खेल रहा था।

उसके गाँव के बच्चे; अपीलार्थी ने पी. डब्ल्यू.-3 को टॉफी खरीदने के लिए पैसे दिए, जिन्होंने अन्य बच्चों के बीच टॉफी वितरित की; और अपीलार्थी ने फिर मृतक बच्चे को लीची चुनने का नाटक करके लुभाया।

जब अन्य बच्चों ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो उन्हें भगा दिया।

9.2 . एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के संबंध में दलीलों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि देरी को पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 द्वारा विधिवत समझाया गया था, क्योंकि अपीलार्थी के पिता ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर उनकी बेटी को अदालत द्वारा ले जाया गया तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

अपीलार्थी; और चूंकि पीडब्लू-2 ने कहा था कि घर पर कोई अभिभावक उपलब्ध नहीं था, इसलिए वे रात में पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते थे। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" ..... शिकायतकर्ता की बहन पीडब्लू-2 ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का कारण स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि अभिभावक घर पर मौजूद नहीं थे। यह आश्वासन दिया गया था कि पी. ए. पी. पी. यू. बनाम.

पप्पु के पिता ने कहा कि अगर वह (उसे) कहीं ले गया होता तो वह वापस आ जाता। इस वजह से, दूसरे दिन मृतक नहीं मिल सका, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

9.3 . बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपीलार्थी को गिरफ्तार करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि गिरफ्तारी ज्ञापन और वसूली ज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं था कि क्या इसकी एक प्रति अपीलार्थी को प्रदान की गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसने अपीलार्थी के कहने पर मृत बच्चे के शव और कपड़ों की खोज के बारे में दावे को कमजोर कर दिया। हालाँकि, इन दलीलों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था

जाँच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में और अभिनिर्धारित किया कि मृत शरीर के साथ-साथ उसकी बेटी के कपड़े भी अपीलार्थी के कहने पर शिकायतकर्ता को बरामद कर लिया गया। विचारण न्यायालय के सुसंगत निष्कर्षों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की टी-शर्ट और पैंटी आई. ओ. द्वारा बरामद की गई थी।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसका उदाहरण और अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ-साथ उक्त आदेश में उसी स्थान पर वसूली ज्ञापन तैयार किया गया था, जिसकी प्रति अभियुक्त को प्रदान की गई थी और ज्ञापन में इस तथ्य के अभाव के बारे में बयान प्रदान किया गया है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न का पी. डब्ल्यू.-8 द्वारा उनकी जांच में उनके द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया है, जिसके कारण बचाव पक्ष के तर्क में कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार यह काफी है

उपर्युक्त जांच से साबित हुआ कि आरोपी के कहने पर बरामद किया गया शव, पैंटी और टी-शर्ट, केवल शिकायतकर्ता की बेटी।

9.4 . इसके अलावा, साइट योजनाओं के संदर्भ में एक्स। का-14 और एक्स। केए-15, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स के अलावा। केए-11 और पीडब्लू-6 डॉ. हिमांशु कुमार की गवाही, ट्रायल कोर्ट ने माना कि साइट योजना बनाती है और चिकित्सा साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि मृतक को मारे जाने के बाद घसीटा गया था, जिसके कारण गेहूं के ढेर को रौंद दिया गया था और खेत में एक लाइन बन गई थी; और मृतक को कई मामूली के साथ-साथ बड़ी चोटें भी आईं। विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" ..... स्केच मानचित्र पर ए 1 के रूप में चिह्नित स्थान वह स्थान है जहाँ आरोपी को मृतक के साथ बलात्कार करते हुए और उसकी हत्या करते हुए दिखाया गया है, ए 2 के रूप में चिह्नित स्थान वह स्थान है जहाँ से मृतक की पैंटी बरामद की गई थी, ए 3 के रूप में चिह्नित स्थान वह स्थान है जहाँ से मृतक की टी शर्ट बरामद की गई थी। निशान

मृतक के शरीर को खींचने वाले आरोपी पर बनाई गई रेखा को प्रदर्शित करता है। गेहूँ का ढेर कुचला हुआ पाया गया और खेत में शव को खींचने के कारण एक रेखा मौजूद थी। इस प्रकार स्केच मैप. की पुष्टि चिकित्सा गवाह पीडब्लू-6 डॉ. हिमांशु कुमार द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य से होती है, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि मृतक आम को मारे जाने के बाद चाक रोड तक घसीटा गया था, जिसके कारण वह मारा गया था।

गेहूँ के ढेर को रौंद दिया गया और जुताई वाले खेत में एक लाइन बन गई। मृतक के सिर पर कई मामूली और साथ ही बड़ी चोटें आईं।

9.5 . निचली अदालत ने अपीलार्थी की ओर से इस तर्क की भी जांच की कि आरोप पत्र में उस पर आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, भले ही बलात्कार की घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और इससे पहले कि आई. ओ. ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को पढ़ा था। ट्रायल कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट,

बलात्कार। 9.6 . अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया एक अन्य तर्क यह था कि शिकायतकर्ता पीडब्लू-1 का उल्लेख उसके बारे में लिखित शिकायत में किया गया है।

आशंका कि अपीलार्थी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और शव को छिपा दिया, हालाँकि शिकायत दर्ज करते समय उसके पास ऐसी आशंकाओं को व्यक्त करने का कोई कारण नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि शिकायत में इस तरह के दावों से पता चलता है कि अपीलार्थी ने

गलत तरीके से फंसाया गया। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि पीडब्लू-1 को शुरू से ही संदेह था कि अपीलार्थी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या की थी और संदेह की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी हुई थी। 9.7 . भूमि विवाद के कारण शत्रुता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष को भी निचली अदालत ने परीक्षण के बाद खारिज कर दिया था।

डी. डब्ल्यू.-1 का कथन और इस अवलोकन के साथ कि ऐसा कथन पी. ए. पी. पी. यू. v था।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अपीलार्थी तदनुसार अपने निर्णय और दिनांक 07.12.2016 के आदेश द्वारा। 9.9 . अगले दिन यानी आई. डी. 1 पर निचली अदालत ने सजा के सवाल पर पक्षकारों को सुना, जहां अपीलार्थी की ओर से इसका आग्रह किया गया था।

कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी; वे 35 वर्ष की कम उम्र में थे। और उसके बच्चों और बूढ़े माता-पिता की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अपराध की जघन्य प्रकृति का उल्लेख किया और आग्रह किया कि वर्तमान मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी का है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि घटना के समय अपीलार्थी की उम्र लगभग 1 वर्ष थी और वह अपने कार्यों के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त समझदार था, और फिर भी उसने इस तरह का जघन्य अपराध किया।

अपराध, जिसके लिए कोई नरमी नहीं मांगी गई थी। नतीजतन, निचली अदालत ने मौत की सजा सहित, जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, दंड दिया।

उच्च न्यायालय ने दी गई मौत की सजा की पुष्टि की

अपीलार्थी 10. जैसा कि देखा गया है, यह मामला इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष दो मामलों पर आया, अर्थात पुष्टि के लिए दी गई मौत की सजा और दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई।

अपीलार्थी द्वारा। उच्च न्यायालय ने गवाहों की गवाही सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री की पुनः सराहना की और अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे मौत की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

10.1 . अपीलार्थी के वकील ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि

पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू 7 की गवाही में विसंगतियां यह तर्क देते हुए कि प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद दर्ज नहीं की गई थी यह ध्यान दिया जाए कि मृतक लड़की को अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था;

कि यह हेरफेर की गई पुनः खोज का मामला था क्योंकि पीडब्लू-3 के अनुसार, उसने मृतक का शव लगभग 10.00 सुबह देखा था, लेकिन प्राथमिकी लगभग 12.35 शाम को दर्ज की गई थी। ; कि पीडब्लू-4 ने गलत तरीके से बरामद अंडरवियर का रंग काला बताया था; कि पीडब्लू-1 [2022] 2 एस. सी. आर.

उसने बयान दिया था कि वह पीडब्लू 2 के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी, जबकि पीडब्लू-7 ने यह बयान दिया था कि पीडब्लू-1 के साथ पीडब्लू-4 था।

10.2 . तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीडब्लू 1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 की गवाही विश्वसनीय थी और स्वाभाविक थी, जो शिक्षण का परिणाम नहीं थी। चूँकि गवाह एक साल बाद गवाही दे रहे थे और देहाती ग्रामीण थे, इसलिए उनकी गवाही में मामूली विसंगतियाँ थीं।

10.4 . पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट और पीडब्लू-6 की गवाही होने के कारण, उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक की योनि फटी हुई थी; रक्त के थक्कों की उपस्थिति थी; मृत्यु का समय 2-3 था। पोस्टमॉर्टम से कुछ दिन पहले मृतक के अंडरवियर पर मानव शुक्राणु और शुक्राणु पाए गए थे। ये अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करते हैं और पुष्टि करते हैं कि बलात्कार किया गया था

उसकी मृत्यु से पहले मृत बच्चा। 10.5 . उच्च न्यायालय ने धारा के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी पर की गई खोजों के प्रभाव का भी उल्लेख किया

27 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता स्वयं पुलिस को शव बरामद करने वाले स्थान पर ले गया और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि इसे वहां कैसे छिपाया गया, इसका एकमात्र अनुमान यह होगा कि अपीलार्थी ने मृत लड़की की हत्या की थी और शव को छिपा दिया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः -

9 इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 43. ज्ञात विचारण न्यायाधीश ने कानूनी रूप से और सही तरीके से व्याख्या की है

गवाहों की आंख की गवाही। यहाँ आरोपी पुलिस दल को ले गया और उस जगह की ओर इशारा किया जहाँ से शव का शव मिला था।

मृतक को बरामद कर लिया गया था, आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण के अभाव में कि शव को कैसे रखा गया था और वहां छुपाया गया था, अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि यह आरोपी था जिसने मृतक की हत्या की और शव को छुपाया और ऐसी व्याख्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में सन्निहित सिद्धांत के साथ असंगत नहीं है।

44. वर्तमान मामले में, घोषित आरोपी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था और उससे प्राप्त कथित जानकारी

अभियुक्त व्यक्ति को उसके बयान के परिणामस्वरूप बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ

अभियुक्त व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए।

45. केवल यह घटक या एक हिस्सा जो नाबालिग लड़की के शव की बरामदगी का तत्काल कारण था, कानूनी सबूत होगा और बाकी नहीं। इसलिए यह प्रो टैंटो (उस हद तक) सामान्य में अभिरक्षा बयानों के व्युत्पन्न उपयोग की अनुमति दे सकता है

घटनाओं का क्रम "।

10.6 . उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय और अपीलार्थी के अपराध के प्रति संवेदनशील पाया, जबकि अपीलार्थी धारा 29 पॉक्सो के तहत उस पर लगाए गए बोझ का आरोप लगाने में विफल रहा। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करते हुए कहा कि

" 54. इस प्रकार, पी. डब्ल्यू. 1 श्रीमती की नेत्र संबंधी गवाही। निशा, पी. डब्ल्यू. 2 कि. मी. अनीता और पीडब्लू 3 कि. मी. आशाना पूरी तरह से विश्वसनीय है और

भरोसेमंद। हम पी. डब्ल्यू. 6 डॉ. हिमांशु कुमार की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। पी. डब्ल्यू. 6 डॉ. हिमांशु कुमार का मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता है। शव परीक्षण करने वाले पीडब्लू 6 डॉ. हिमांशु कुमार के चिकित्सा साक्ष्य में पाया गया कि किमी की मृत्यु हुई है। मेरी उम्र लगभग 7 साल की नाबालिग लड़की पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों के कारण हुई थी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (एक्ज़िबिट का-11) में उल्लिखित मृत्यु का समय एफ. आई. आर. में उल्लिखित समय से मेल खाता है। (का-1 प्रदर्शित करें) के साथ-साथ पी. डब्ल्यू. 1 की ऑक्युलर गवाही में श्रीमती. निशा, पी. डब्ल्यू. 2 कि. मी. अनीता और पी. डब्ल्यू. 3

किमी. आशाना "।

10.7 . उच्च न्यायालय ने पूर्व शत्रुता के कारण झूठे समर्थन की बचाव की कहानी को भी खारिज कर दिया और कहा कि कोई ठोस [2022] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

रामप्रीत द्वारा गोकुल को भूमि की कथित बिक्री के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और यह भी नहीं दिखाया गया था कि अपीलार्थी उक्त भूमि सौदे से कैसे संबंधित था।

10.8 . इस प्रकार दोषसिद्धि की पुष्टि करने के बाद, उच्च न्यायालय ने सजा के प्रश्न की जांच की और इस तरह के मामलों को अभिनिर्धारित किया

ये मानवता के खिलाफ अपराध थे, अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को निम्नानुसार देखते हुए बरकरार रखाः -

" 61. इस मामले में, आरोपी व्यक्ति-अपीलकर्ता पप्पु, जो उसी जाति, सामाजिक वर्ग और मृतक नाबालिग लड़की के मूल स्थान से था, ने उसे अपनी लीची देने का प्रलोभन दिया।

उसके भयावह मंसूबों की शुरुआत करें जिसके परिणामस्वरूप उसका अपहरण, क्रूर बलात्कार और वीभत्स हत्या हुई-जैसा कि उसके व्यक्ति पर कई पूर्व-शव परीक्षण चोटें गवाही देती हैं; जिसकी परिणति झाड़ियों के पास नदी के किनारे उसके शव को छिपाने में हुई और 7 साल की निर्दोष असहाय और असहाय लड़की के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा बर्बर व्यवहार किया गया जो उसका विश्वास जीतने की स्थिति में था। उसकी दोषपूर्णता बहुत अधिक है और एक उत्तेजित करती है

आम आदमी के मन में घृणा की भावना। 62. ठीक है, अपराधी की प्रेरणा, की भेद्यता

पीड़ित, अपराध की विशालता, उसका निष्पादन हमें यह मानने के लिए राजी करता है कि यह एक 'दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम' है जहां मौत की सजा न केवल दूसरों को इस तरह के नृशंस अपराध करने से रोकने के लिए बल्कि जोरदार देने के लिए भी प्रमुख रूप से वांछनीय है।

इस तरह के अपराध के प्रति समाज की घृणा की अभिव्यक्ति।

63. उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में तत्काल मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को समग्र रूप से देखते हुए हमारी दृढ़ राय है कि मौत की सजा को बनाए रखा जाना चाहिए। व्यर्थ में, हमने कम करने वाली परिस्थितियों की खोज की है-लेकिन पाया

परेशान करने वाली परिस्थितियाँ बहुत हैं "।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निष्कर्षों के खिलाफ सवाल उठाते हुए उपरोक्त निर्णय और आदेश पर हमला किया है।

अपीलार्थी की दोषसिद्धि के साथ-साथ अपीलार्थी को दी गई सजा के विरुद्ध भी।

12. जहाँ तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, विद्वान वकील ने, सबसे पहले, पी. ए. पी. पी. यू. बनाम के पूर्व-समय की संभावना पर जोरदार तर्क दिया है।

एफ. आई. आर. से इंकार नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में, पीडब्लू-3 की गवाही में बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि उसने पीडब्लू-2 और एक सुनीता के साथ उस स्थान का दौरा किया था जहां 10 बजे शव मिला थाः 00 ए. एम. 14.05.2015 पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस समय तक, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी क्योंकि शिकायत केवल 12 के आसपास की गई थीः 35 14.05.2015 को शाम को और शव कथित तौर पर 4 बजे के बीच बरामद किया गया थाः 10 5: 15 पी. एम फिर भी आगे, विद्वान वकील ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि

12.1 . एफ. आई. आर. दर्ज करने के समय पुलिस स्टेशन में कौन मौजूद था और साथ ही धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत सूचना देने वाले का बयान दर्ज करने के समय के बारे में तथ्यों के संबंध में विसंगतियां। इसका भी उल्लेख किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 'न्यायालय को भेजने की तारीख और समय' के संबंध में प्राथमिकी के कॉलम 15 में कोई विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विसंगतियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित संदेहों के साथ मिलकर अपीलार्थी को संदेह का लाभ मिलेगा।

12.2 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित निष्कर्षों पर दृढ़ता से हमला किया है, जैसा कि द्वारा साबित किया गया है विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि मृतक को अंततः अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था, विद्वान वकील ने साक्ष्य में कुछ विसंगतियों को इंगित करने का प्रयास किया है, जो उनके अनुसार, अभियोजन मामले को गलत साबित करते हैं।

12.2. 1 . यह तर्क दिया गया है कि उस स्थान के बारे में पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही में विसंगतियां हैं जहां बच्चे और मृतक कथित रूप से अपीलार्थी [2022] 2 एस. सी. आर. के सामने खेल रहे थे।

गवाही को असंगत के रूप में देखा जा सकता है, या इसे नजरअंदाज करने की आवश्यकता है, या यह पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाही पर मजबूत संदेह पैदा करता है। विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने गलती से अनदेखी की है इस प्रकार के संदर्भ में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियाँ

गवाहों की देहाती पृष्ठभूमि कहा जाता है, जबकि इस बात की अनदेखी करते हुए कि किसी भी मामले में, ऐसे भौतिक विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले संदेह का लाभ अपीलार्थी को जाना चाहिए।

12.2. 2 . यह भी तर्क दिया गया है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि वे एक भी ग्रामीण का नाम नहीं ले सकते थे जिसके घर पर वे रहते थे।

मृतक की तलाश में दौरा किया; और वास्तव में, पीडब्लू-2 ने आधी रात और मध्यरात्रि के बीच ग्राम प्रधान के घर पर अपीलार्थी से मिलने के बारे में बताया।

1: 00 ए. एम. 14.05.2015 पर लेकिन ऐसे तथ्य पी. डब्ल्यू.-1 या पी. डब्ल्यू.-8 की गवाही में नहीं बताए गए थे।

12.2. 3 . विद्वान वकील का तर्क होगा कि 'अंतिम बार देखे गए' और 'मृत शरीर की बरामदगी' के बीच की अवधि के लिए स्पष्टीकरण का भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा क्योंकि अंतिम बार देखे गए व्यक्ति की परिस्थिति संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुई है।

निश्चितता।

12.3 . यह भी दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि मृतक का शव बरामद किया गया था।

अपीलार्थी का उदाहरण, या कि उसे शव के स्थान के बारे में कोई जानकारी थी।

12.3. 1 . विद्वान वकील का तर्क होगा कि की खोज

एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले मृत शरीर से इंकार नहीं किया जाता है और जब अपीलार्थी को बाद में गिरफ्तार किया गया था, तो अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी भी बयान के अनुसार कोई तथाकथित खोज नहीं हो सकती थी। इसी क्रम में, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को शव के स्थान का अनन्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कई व्यक्तियों को पहले से इस तरह की जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए,

उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने में गलती की है।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

12.3. 2 . यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी से संबंधित तथ्य भी कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है और इस संबंध में, पीडब्लू-4 के बयान में विसंगतियों का संकेत इस तथ्य के साथ दिया गया है कि गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था

गिरफ्तारी के स्थान पर और कथित बरामदगी करने के कुछ घंटों बाद समाप्त कर दिया गया। विद्वान वकील का तर्क होगा कि जब गिरफ्तारी की परिस्थिति संदिग्ध होती है, तो बाद के प्रकटीकरण बयान और वसूली को साबित नहीं किया जा सकता है।

12.3. 3 . यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में जिस प्रकटीकरण पर भरोसा करने की मांग की गई थी, वह गैर-विशिष्ट था और कथित वसूली

अपीलार्थी के विरुद्ध और न ही अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। जहाँ तक मृतक के अंडरवियर पर मानव शुक्राणु की उपस्थिति का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला है और न ही अपीलार्थी के अंडरवियर पर कोई शुक्राणु पाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दौरे न तो साबित हुए थे और न ही वैज्ञानिक रूप से उचित प्रतीत हुए थे। मृतक के कपड़ों को सील कर दिया गया था पुलिस स्टेशन और मौके पर नहीं। यहां तक कि भंडारण और अग्रेषण भी अवैज्ञानिक थे क्योंकि पीडब्लू-8 ने स्वीकार किया कि जब्त किए गए कपड़ों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहीत करने के लिए पुलिस स्टेशन के मालखाने में कोई सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट 10.08.2016 पर दी गई थी और यह असंभव था कि घटना के एक साल और तीन महीने बाद भी कपड़े पर शुक्राणु पाया जा सकता था; और रिपोर्ट में निष्कर्ष के लिए वैज्ञानिक मानदंड और आधार को साबित करने के लिए किसी भी विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई थी। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में बलात्कार का अपराध स्थापित नहीं हुआ है।

12.5 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि निचली अदालतों ने धारा 29 पॉक्सो पर भरोसा करने में गंभीर गलती की है, जबकि वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।

विचार करें कि अपीलार्थी पर सबूत का भार स्थानांतरित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्यों को स्थापित किया जाना चाहिए, जो संदर्भ में [2022] 2 एस. सी. आर.

पॉक्सो के तहत अपराधों में 'कथित अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना' शामिल है। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, अभियोजन पक्ष कथित अपराधों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, वर्तमान मामले में धारा 29 पॉक्सो के संदर्भ में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

12.6 . विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 चित्रण (जी) के संदर्भ में प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालने में गलती की है क्योंकि उन भौतिक गवाहों की जांच नहीं की गई है जिनके नाम रिकॉर्ड में सामने आए थे; और यह विचार करने में विफल रहे हैं कि विवेक और सावधानी के नियम थे पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 की गवाही की सराहना करते समय आवेदन करने की आवश्यकता थी, जिन्हें पूर्व शत्रुता के कारण अपीलार्थी को दोषी ठहराकर व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित किया जाना था, जिससे उन्हें इच्छुक गवाह बनाया जा सके।

12.7 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में कई निर्णयों का भी उल्लेख किया है, जिनमें शामिल हैं -

सुदर्शन और अन्र। वी. महाराष्ट्र राज्यः ( 2014 ) 12 एस. सी. सी. 312, शरद बर्डीहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्यः ( 1984 ) 4 एस. सी. सी. 116, अंजन कुमार सरमा और अन्य। वी. असम राज्यः ( 2017 ) 14 एस. सी. सी. 359, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम। नवजोत संधूः ( 2005 ) 11 एससीसी 600, डी. के. बसु बनाम। डब्ल्यू. बी. की स्थिति : ( 1997 ) 1 एस. सी. सी. 416, रम्मी उपनाम रामेश्वर बनाम। एम. पी. का राज्य : ( 1999 ) 8 एस. सी. सी. 649, राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम। राजस्थान राज्यः ( 2013 ) 5 एससीसी

722 , अघनू नागेसिया बनाम। बिहार राज्यः ( 1966 ) 1 एस. सी. आर. 134, अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलूच बनाम। गुजरात राज्यः ( 2009 ) 11 एस. सी. सी. 625, रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम। रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड और ओआरएसः (2009 ) 9 एस. सी. सी. 709, नूर आगा बनाम पंजाब और अन्र राज्य। : ( 2008 ) 16 एस. सी. सी. 417 और जस्टिन बनाम। भारत संघ और ओआरएस। : 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4956।

13. प्रस्तुतियों के दूसरे भाग में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उसके खिलाफ उसके तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तर्क दिया है।

दोषसिद्धि, कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सजा का अभ्यास तय किए गए कानून का उल्लंघन रहा है और किसी भी मामले में, मृत्यु की सजा की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।

13.1 . विचारण न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, विद्वान वकील का तर्क होगा कि उसने केवल परिस्थितियों पर विचार किया था -

अपराध लेकिन संभावना पी. ए. पी. पी. यू. वी. से संबंधित तत्वों पर विचार करने में विफल रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अपीलार्थी का सुधार और पुनर्वास। विद्वान वकील का तर्क होगा कि प्रतिवादी-राज्य ने अपीलार्थी द्वारा हिंसा के आपराधिक कृत्यों को करने की संभावना दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया, जिससे समाज के लिए खतरा पैदा हो। कम करने वाली परिस्थितियाँ जैसे कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं, परिवार का अपीलार्थी पर निर्भर होना और सुधार की संभावना पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया और किसी भी मामले के कानून पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने भी केवल बाल बलात्कार अपराधों की गंभीरता पर चर्चा करते हुए और फिर एक सरसरी रिकॉर्ड करते हुए सजा की उन्हीं गलतियों को दोहराया।

यह पाया गया कि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाई गईं।

13.2 . विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सजा सुनाने का अभ्यास इसके अनुरूप नहीं था

बचन सिंह बनाम में संविधान पीठ के निर्णय सहित विभिन्न घोषणाओं में इस न्यायालय का अनुपात। पंजाब राज्यः ( 1980 )

2 एस. सी. सी. 684, और मोहम्मद में 3-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। मन्नान उपनाम अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्यः ( 2019 ) 16 एससीसी 584।

13.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि

'सुधार की संभावना' से संबंधित तत्वों ने कहा है कि 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी में एक मामले को लेते हुए, सिद्धांत स्पष्ट हैं कि आजीवन कारावास की सजा को 'निर्विवाद रूप से पूर्ववत' नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सुधार की गुंजाइश या संभावना न हो। विद्वान वकील ने राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक के फैसले का उल्लेख किया है।

वी. महाराष्ट्र राज्यः ( 2019 ) 12 एस. सी. सी. 460 ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि उक्त मामला एक नाबालिग के बलात्कार और हत्या से भी संबंधित है और उसमें, इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस संभावना पर कि एक दोषी को मौत की सजा देने से पहले अदालतों द्वारा समाज में सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है, 'गंभीरता से और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए' और ऐसी जांच के लिए दोषसिद्धि की तारीख और उसके बीच की अवधि की आवश्यकता हो सकती है।

सजा को लंबा किया जाए ताकि पक्षकार सजा सुनाने वाले न्यायालय की सहायता के लिए साक्ष्य एकत्र कर सकें और उनका नेतृत्व कर सकें। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया

07.12.2016 और, अगले ही दिन, यानी 08.12.2016 पर, उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस प्रकार, अपीलार्थी को प्रासंगिक शमनकारी परिस्थितियों के संबंध में अभिलेख सामग्री या साक्ष्य लाने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। 13.4 . विद्वान वकील ने आगे कई कारकों पर भरोसा किया है जो, उनके अनुसार, वास्तव में कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं और

जिसके लिए मौत की सजा को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13.4. 1. यह तर्क दिया गया है कि पहली कम करने वाली परिस्थिति अपीलार्थी के अच्छे जेल आचरण की है जहां उसे जेल कार्यालय की सफाई का काम भी सौंपा गया है और यह तथ्य कि उसने खाद्य और पोषण में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम किया है, हालांकि वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी अपने सुधार के लिए सभी उपलब्ध अवसरों का उपयोग कर रहा है। 13.4. 2 . विद्वान वकील के अनुसार, दूसरी कम करने वाली परिस्थिति यह है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह

समाज का एक सभ्य सदस्य रहा है, जो सुधार की प्रबल संभावना को भी दर्शाता है। विद्वान वकील ने गुड्डु उपनाम द्वारिकेंद्र बनाम के मामले का उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश राज्यः ( 2013 ) 16 एस. सी. सी. 596 और कालू खान बनाम राजस्थान राज्यः ( 2015 ) 16 एस. सी. सी. 492 यह प्रस्तुत करने के लिए कि इसमें, इस न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति और आयु (35 वर्ष) को कम करने वाले कारकों के रूप में माना है।

13.4. 3 . इस मामले में तीसरी कम करने वाली परिस्थिति पारिवारिक निर्भरता और सामाजिक-आर्थिक के संदर्भ में है।

अपीलार्थी की पृष्ठभूमि। यह शपथ पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। अपीलार्थी की पत्नी के बारे में कि वह उसके लिए एक देखभाल करने वाला पति और बच्चों के लिए एक अच्छा पिता रहा है; वह अपने परिवार को बुलाता रहता है और उनके कल्याण के बारे में पूछता रहता है; और यहाँ तक कि गाँव के लोग भी उसकी भलाई के बारे में चिंतित हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता एक अत्यंत गरीब दलित परिवार से आता है, जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था और परिवार के पास शायद ही इतना पैसा था कि वह सीधे बिजली या पानी के कनेक्शन के बिना दोनों जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा, वे जिस घर में रहते हैं, वह उन्हें 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एक हिस्से के रूप में दिया गया है। यह भी बताया गया है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद, उसका भाई एक नदी में डूब गया और उसकी माँ का भी वर्ष 2018 में निधन हो गया; कि गरीबी के कारण, अपीलार्थी के सबसे बड़े बेटे को अपने मामा के साथ रहने के लिए गुजरात भेजना पड़ा; कि उसके पिता रामप्रीत को, बुढ़ापे के बावजूद, परिवार का भरण-पोषण करने के लिए खुद को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और यहां तक कि बच्चे भी मजबूर हैं कि वे अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर हैं।

काम करते हैं लेकिन फिर भी, परिवार की पूरी आय केवल Rs.3000/- प्रति माह है; और यह कि अपीलार्थी की पत्नी नाजुक और कमजोर है और अपीलार्थी पर मृत्युदंड के अधिरोपण ने उसे अत्यधिक मानसिक पीड़ा और तनाव का कारण बना दिया है। एम. ए. एंटनी बनाम सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में। केरल राज्यः 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2800, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे कारक परिस्थितियों को कम करने के भी हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का निरंतर पी. ए. पी. पी. यू. v.

उनके परिवार और स्थानीय समुदाय के साथ संबंध और उन पर परिवार की वित्तीय और भावनात्मक निर्भरता, सुधार की संभावना का सुझाव देने वाले अतिरिक्त कारक हैं। 13.4. 4 . चौथी कम करने वाली परिस्थिति के रूप में, अपीलार्थी का विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर होने के कारण, अत्यधिक सजा का अधिनिर्णय नहीं है।

आश्वासन दिया। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है जिनमें मोहम्मद के मामले भी शामिल हैं। मन्नान और कालू खान

( ऊपर)। विद्वान वकील शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम में निर्णय के संदर्भ में विरोध करेगा। महाराष्ट्र राज्यः ( 2021 ) 1

एस. सी. सी. 596 ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड के अधिरोपण पर विचार करते समय, परिस्थितिजन्य साक्ष्य 'निर्विवाद चरित्र' का होना चाहिए, या एक 'असाधारण मामले' की ओर ले जाना चाहिए, या इतना मजबूत होना चाहिए कि न्यायालय को यह समझाया जा सके कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, रविशंकर उपनाम बाबा विश्वकर्मा बनाम में निर्णय के संदर्भ में यह तर्क दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्यः ( 2019 ) 9 एस. सी. सी. 689 में कहा गया है कि इसमें इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने 'अवशिष्ट संदेह' का आह्वान किया है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त के अपराध के बारे में उचित संदेह से परे आश्वस्त होने के बावजूद, ऐसे अपराध के बारे में लंबे समय तक या अवशिष्ट संदेह हो सकते हैं और इसलिए, न्यायालय मृत्युदंड देना सुरक्षित नहीं समझेगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई विसंगतियां और कमियां हैं; और दोषसिद्धि का दावा करने में आग्रह की गई दलीलों के संदर्भ में, विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वर्तमान स्पष्ट रूप से अवशिष्ट संदेहों का मामला है, जो अपीलार्थी के पक्ष में एक अन्य शमन कारक के रूप में कार्य करना चाहिए।

13.4. 5 . विद्वान वकील ने हमारे सामने तुलनीय निर्णयों की एक तालिका भी रखी है जिसमें इस न्यायालय ने मौत की सजा को कम कर दिया है

'साधारण आजीवन कारावास' में। इसके अलावा, विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम के मामले में उद्धरणों का उल्लेख किया है। वी. श्रीहरण उपनाम मुरुगन और अन्य। : ( 2016 ) 7 एस. सी. सी. 1, जहाँ इस न्यायालय ने मृत्युदंड के प्रतिस्थापन में सजा की विशेष श्रेणी को मंजूरी दी है, (अर्थात, 14 वर्ष से अधिक निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट को छोड़कर आजीवन कारावास, या

शेष प्राकृतिक जीवन के लिए छूट को छोड़कर आजीवन कारावास)। विद्वान वकील ने बलात्कार के तुलनीय मामलों की एक तालिका भी हमारे सामने रखी है और नाबालिगों की हत्या, जहां मौत की सजा को या तो एक निश्चित अवधि के लिए या शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित करते समय छूट को बाहर रखा गया है।

13.4. 6 . उपरोक्त के संदर्भ में और प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत निर्णयों से भी ताकत हासिल करने की कोशिश करते हुए,

विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा अस्वीकृत होने के योग्य है।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने संदर्भ के साथ अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा का विधिवत समर्थन किया है।

अभिलेख पर सामग्री और इस न्यायालय के कई निर्णयों के लिए।

15. जहां तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने तर्क दिया है कि समवर्ती निष्कर्ष वापस आ गए हैं

परीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पूरी तरह से सराहना करने के बाद किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं होते हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करते हैं।

15.1 . विद्वान वकील ने अपीलार्थी के खिलाफ साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला को दोहराया है और प्रस्तुत किया है कि

अपीलार्थी की ओर से निर्दिष्ट की जाने वाली विसंगतियाँ मामूली प्रकृति की हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करती हैं। पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। जॉन डेविडः ( 2011 ) 5 एस. सी. सी. 509, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जांच प्रक्रिया में छोटी खामियां और अनियमितताएं मामले का सार नहीं बन सकती हैं जब जांच में मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य पाए जाते हैं, जो तार्किक रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं।

20 घंटे के भीतर हुआ क्योंकि पीड़ित लगभग 6 बजे गायब हो गयाः 30 13.05.2015 को दोपहर में और अपीलार्थी को अगले दिन लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गयाः 30 पी. एम. ; और अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित की है जो केवल अपीलार्थी के अपराध के निष्कर्ष तक ले जाती है। 15.3 . विद्वान वकील ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि पीड़ित को वास्तव में अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया था जब अपीलार्थी ने चालाकी से उसे अलग कर दिया था।

अपने उन दोस्तों की संगति से जिनके साथ वह खेल रही थी, लीची लेने के बहाने उसे लुभाने के बाद पूर्व नियोजित तरीके से; और अपीलार्थी के अपराध का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसने पीड़ित के दोस्तों को डांट दिया था जब उन्होंने उसका पीछा करने की कोशिश की थी जब वह पीड़ित को अपनी पीठ पर ले जा रहा था। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, पीड़ित का उसके दोस्तों से जानबूझकर अलगाव स्वयं साबित करता है कि यह पी. ए. पी. पी. यू. v था।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एक असहाय बच्चे के क्रूर बलात्कार और हत्या का एक पूर्व नियोजित, पूर्व नियोजित, निर्मम मामला।

यह साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य कि अपीलार्थी पीड़ित बच्चे को ले गया और उसके बाद बच्चा लापता हो गया और फिर, केवल अमानवीय रूप से बलात्कार और हत्या पाई गई, अपीलार्थी पर यह समझाने का भारी बोझ था कि वह 6 के बीच कहाँ थाः 30 उस दिन का अपराह्न जब वह बच्चे को ले गया और 3: 30 अगले दिन जब उसे गिरफ्तार किया गया था; उसने नाबालिग लड़की को वापस लाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली क्योंकि वही उसे ले जा रहा था; अगर उसने अपराध नहीं किया तो वह मृतक के साथ कब अलग हुआ; और उसे मृतक के शव के स्थान के बारे में कैसे पता चला? चूँकि अपीलार्थी इनमें से किसी भी प्रासंगिक प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, इसलिए बिना किसी संदेह के यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी इसमें विफल रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन। विद्वान वकील के अनुसार, यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक मजबूत कड़ी प्रदान करता है जो उसके अपराध को उचित संदेह से परे साबित करता है। विद्वान वकील ने राजस्थान राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय का उल्लेख किया है। काशी रामः ( 2006 ) 12 एससीसी 254। विद्वान वकील ने धारा 29 पॉक्सो पर भी जोर दिया है।

15.5 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने अपीलार्थी की जानकारी के आधार पर पीड़ित बच्चे के मृत शरीर की खोज के संबंध में साक्ष्य का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि जब अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी निकटवर्ती थी

अपराध की भौतिक वस्तुओं की खोज का कारण और उस समय के बीच की अवधि में तीसरे पक्ष की किसी भी संलिप्तता या हस्तक्षेप को इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था जब पीड़ित को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था और जब उसका शव बरामद किया गया था, यह अपीलार्थी के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला में एक और मजबूत कड़ी प्रदान करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आई. ओ. द्वारा की गई बरामदगी को न तो चुनौती दी गई है और न ही उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया है। विद्वान वकील ने फिर से जॉन डेविड (ऊपर) के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है।

15.6 . विद्वान वकील ने शव परीक्षण रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जो मृत शरीर [2022] 2 एस. सी. आर. पर बड़ी संख्या में भीषण चोटों का संकेत देती है।

पीड़ित बच्चे के निजी अंगों सहित और प्रस्तुत किया है कि वे तथ्य अपीलार्थी द्वारा असहाय पीड़ित पर किए गए अमानवीय अपराध की जघन्य प्रकृति का संकेत देते हैं, जो केवल 7 वर्ष की थी। 15.7 . प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि एफ. आई. आर. के संबंध में सभी भौतिक तथ्यों को पीडब्लू-1 के बयान में विधिवत साबित किया गया है और जिरह में कोई विरोधाभास नहीं था और न ही पुलिस को दी गई जानकारी को बदनाम करने के लिए उससे कोई सवाल किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ भी नहीं है

अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों की गवाही को बदनाम करने के लिए प्रतिपरीक्षा में सामने आया और न ही शत्रुता के कारण झूठे निहितार्थ की कहानी बचाव पक्ष द्वारा स्थापित की गई है; बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पक्षों या उनके परिवारों के बीच ऐसी किसी भी कथित शत्रुता को गलत साबित करते हैं।

जिसके लिए, अपीलार्थी पर पीड़ित के परिवार द्वारा गलत तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा।

15.8 . इस प्रकार, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से संबंधित सिद्धांतों के भीतर आता है -

शरद बर्डहिचंद सारदा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यथा प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है। 16. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने भी सजा के प्रश्न के संबंध में अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला निस्संदेह एक 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला है जहां मौत की सजा सही ढंग से दी गई है और पुष्टि की जानी चाहिए।

16.1 . विद्वान वकील ने बचन सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के उद्धरणों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि मानदंडों के भीतर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित और स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुसार, वर्तमान मामले में मृत्युदंड की मांग की जाती है, जहां कोई कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं और इसके विपरीत, मामले के तथ्य अपीलार्थी के खिलाफ केवल गंभीर परिस्थितियों का खुलासा करते हैं। विद्वान सलाहकार

इसने तर्क दिया है कि पीड़ित, जो लगभग 7 वर्ष की थी, ने अपीलकर्ता पर पूरा विश्वास किया होगा क्योंकि वह उनका पड़ोसी था; और इस तरह के विश्वास और विश्वास के कारण, वह इस धारणा के तहत उसके साथ थी कि उसे लीची तोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था, जो अपीलकर्ता के पूर्व नियोजित बुरे मंसूबों से पूरी तरह से अनजान था। पीड़ित पूरी तरह से असहाय बच्चा था, और अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी थी कि सुनसान इलाके में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, जहां वह अपनी वासना को पूरा करने के लिए उसके आत्मविश्वास का दुरुपयोग करके उसे ले गया था।

अपीलार्थी को इस तथ्य की भी पूरी जानकारी थी कि परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था और इसलिए, उसने शैतानी तरीकों का सहारा लेकर अपराध करने की योजना बनाई और उस उद्देश्य के साथ, लड़की को अपने नृशंस कृत्य को अंजाम देने के लिए एक सुनसान जगह पर ले गया। विद्वान वकील ने शंकर किसनराव खाड़े बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है। महाराष्ट्र राज्यः ( 2013 ) 5 एससीसी 546 और

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में मृत्युदंड देने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ तीन परीक्षण, यानी 'अपराध परीक्षण', 'आपराधिक परीक्षण' और 'दुर्लभतम परीक्षण' संतुष्ट हैं।

16.2 . उनकी दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने माची सिंह और अन्य के मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है। वी. पंजाब राज्यः ( 1983 ) 3 एस. सी. सी. 470, धनंजय चटर्जी उर्फ धना बनाम। डब्ल्यू. बी. की स्थिति : ( 1994 ) 2 एस. सी. सी. 220, लक्ष्मण नाइक बनाम। उड़ीसा राज्यः ( 1994 ) 3 एस. सी. सी. 381 और कामता तिवारी बनाम। एम. पी. का राज्य : ( 1996 ) 6 एससीसी 250।

17. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया है कि यद्यपि अपीलार्थी का अपराध और जिस क्रूर तरीके से अपराध किया गया था, वह संदेह से परे स्थापित है, लेकिन यदि इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' प्रतिमान के भीतर नहीं माना जाता है, तो अपीलार्थी रिहा होने का हकदार नहीं है और भले ही उसकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया हो, लेकिन यह बिना किसी छूट के और उसके शेष जीवन के लिए आवश्यक है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए, यदि उसे भविष्य में किसी भी समय रिहा किया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और उसकी रिहाई का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विद्वान वकील ने स्वामी श्रद्धानंद (2) v के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी निश्चित अवधि की सजाओं का उल्लेख किया है। कर्नाटक राज्यः ( 2008 ) 13 एस. सी. सी. 767, मो. मन्नान और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक (ऊपर)।

18. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और रिकॉर्ड पर सामग्री को स्कैन किया है।

इन अपीलों का दायरा और विस्तार

19. जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों की विस्तृत श्रृंखला में, समवर्ती निष्कर्ष उनके दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है जैसे कि यह नियमित अपील का मामला हो;

और व्यावहारिक रूप से इस प्रभाव के लिए हैं कि मामले में दिए गए पूरे साक्ष्य को इसकी सामग्री के साथ-साथ इसके आसपास के कारकों पर भी पुनः मूल्यांकन किया जाए।

विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रवेश करते समय, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि वर्तमान परीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों का विषय है। यद्यपि द्वारा एक अपील की परिधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति और ऐसी अपीलों में मामलों की जांच करने के मापदंडों को इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में बार-बार निर्धारित किया गया है, लेकिन इस मामले में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम विशेष रूप से नियमित अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे में सूक्ष्म लेकिन प्रासंगिक अंतर पर सूक्ष्म सिद्धांतों को दोहराने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं।

19.1 . प्रासंगिक निर्णयों पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान देना उचित होगा कि आपराधिक मामलों के संबंध में इस न्यायालय की नियमित अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 134 में निर्दिष्ट है। भारत का संविधान। वर्तमान उद्देश्य के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" 134. के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक मामले। -

उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

भारत का क्षेत्र यदि उच्च न्यायालय -

( क) अपील पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या
( ख) किसी भी मामले में अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लिया है।

अपने अधिकार के अधीन अदालत ने ऐसे मुकदमे में आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या
( ग) अनुच्छेद 134-क के तहत प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त हैः

बशर्ते कि उपखंड (ग) के तहत एक अपील ऐसे प्रावधानों के अधीन होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड (1) के तहत उस ओर से किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो उच्च न्यायालय कर सकता है।

स्थापना या आवश्यकता।

संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा की अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने की कोई और शक्ति प्रदान कर सकती है जो हो सके।

इस तरह के कानून में निर्दिष्ट किया जाए। पी ए पी पी यू वी।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 136. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति। - ( 1 )

इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय

अपने विवेकाधिकार में, क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।

भारत से।

( 2 ) खंड (1) की कोई बात किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय, निर्धारण, सजा या आदेश पर लागू नहीं होगी। सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित।

19.1. 1. इसके अलावा, आपराधिक मामलों के संबंध में इस न्यायालय की विस्तारित अपीलीय अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की धारा 2 में प्रदान की गई है।

न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970

यह नीचे लिखा हैः -

" 2. में उच्चतम न्यायालय का विस्तारित अपीलीय अधिकार क्षेत्र

आपराधिक मामलों पर ध्यान देना। - सत्ता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त, भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में सजा के किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी यदि उच्च न्यायालय

( क) अपील पर अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे आजीवन कारावास या

दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास;
( ख) किसी भी मामले में अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लिया है।

अपने अधिकार के अधीन अदालत ने इस तरह के मुकदमे में आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है।

19.2 . जहां तक 05.05.1950 की बात है, यानी संवैधानिक योजना और सिद्धांतों के विकास के बहुत शुरुआती चरण में, इस मामले में यह न्यायालय

प्रीतम सिंह बनाम। बताइएः ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 169 ने स्पष्ट किया कि अनुमति दिए जाने पर भी विशेष अनुमति द्वारा इस तरह की अपील में पूरा मामला बड़े पैमाने पर नहीं है। इस अदालत ने कहाः -

“ 5. अपील पर बहस करते हुए, श्री सेठी आगे बढ़े

यह धारणा कि एक बार अपील को विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, पूरा मामला बड़े पैमाने पर था और अपीलार्थी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र था

10 '1970 का अधिनियम', संक्षेप में।

इब्राहिम बनाम में इंग्लैंड में परिषद। रेक्स [(1914) एसी 615] इनमें शब्दः " ..... बोर्ड ने बार-बार छुट्टी के लिए आवेदनों पर विचार किया है

आपराधिक अपीलों की सुनवाई और अपील करने के लिए

एक ही आधारः रील केस; एक्स-पार्टी डीमिंग। बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता।

स्वयं अपील; और, इसके विपरीत, यह अपील की अनुमति नहीं दे सकता है अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं होने वाले आधार

इसे लाने के लिए।

6. प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित नियम ध्वनि पर आधारित है।

सिद्धांत, और, हमारी राय में, केवल उन बिंदुओं पर आग्रह किया जा सकता है

अपील की अंतिम सुनवाई जो आग्रह करने के लिए उपयुक्त है

दो अलग-अलग चरणों में अलग-अलग मानकों को अपनाना अतार्किक होना एक ही मामला "।

( जोर दिया गया)

19.3 . तथ्यों के निष्कर्षों के संबंध में अनुच्छेद 136 का दायरा

रमणीकलाल गोकलदास और अन्य के मामले में इस न्यायालय के 3-न्यायाधीश एच द्वारा साक्ष्य की प्रशंसा को और अधिक उजागर किया गया। वी.

गुजरात काः ( 1976 ) 1 एस. सी. सी. 6 निम्नलिखित शब्दों मेंः

" 3. यह इस न्यायालय द्वारा विकसित एक संपूर्ण नियम है, जिसे

लगातार पालन किया, कि एक आपराधिक मामले में, एक सुनवाई के दौरान

साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, जब दोनों सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपनी सराहना में सहमति व्यक्त की है

साक्ष्य और तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों पर पहुंचे। होना ही चाहिए।

याद रखें कि यह न्यायालय एक नियमित अपील न्यायालय नहीं है जो एक अभियुक्त आपराधिक मामलों में अधिकार के रूप में संपर्क कर सकता है। यह एक

विशेष अनुमति और इस अधिकार क्षेत्र द्वारा एक अपील को स्वीकार करता है, इसके द्वारा बहुत प्रकृति, केवल तभी प्रयोग करने योग्य है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि यह

गंभीर या गंभीर को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है

न्याय की विफलता। साक्ष्य के मूल्यांकन में केवल त्रुटियाँ

इस निरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। या फिर, यह पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

न्यायालय को एक नियमित अपील न्यायालय में परिवर्तित किया जाएगा जहां

आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय होगा

इसकी शुद्धता के लिए जांच की जा सकती है। यह कार्य नहीं है

इस न्यायालय से। "

( जोर दिया गया)

19.4 . उपरोक्त निर्णय के कुछ दिनों बाद, 2-न्यायाधीशों की पीठ

एमएसटी के मामले में न्यायालय। दलबीर कौर और अन्य। वी. पंजाब राज्यः 5 ) 4 एस. सी. सी. 158, कई निर्णयित मामलों के संदर्भ में, संक्षेप में

मुख्य निर्णय में शिष्य इस प्रकार हैंः -

" 8. इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत विशेष अवकाश द्वारा आपराधिक अपील का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

" ( 1 ) कि यह न्यायालय समवर्ती में हस्तक्षेप नहीं करेगा

साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य का पता लगाना, भले ही वह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण लेना था;

( 2 ) कि न्यायालय आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा

या साक्ष्य की समीक्षा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन न हो।

न्यायालय कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित होता है या इस पर आधारित होता है -

अभिलेख की त्रुटि, साक्ष्य का गलत अध्ययन या इसके साथ असंगत है

उदाहरण के लिए, जहाँ नेत्र साक्ष्य पूरी तरह से है चिकित्सा साक्ष्य आदि के साथ असंगत;

( 3 ) कि न्यायालय साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा

उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से;

( 4 ) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय ने किया है

न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचे,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या निष्पक्ष सुनवाई या उल्लंघन में कार्य किया है

कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान के परिणामस्वरूप गंभीर

अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह या अन्याय;

( 5 ) यह न्यायालय साबित तथ्यों पर भी हस्तक्षेप कर सकता है।

कानून के निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां निष्कर्ष निकाले गए हैं

गलत

उच्च न्यायालय के स्पष्ट रूप से विकृत हैं और नहीं पर आधारित हैं

सबूत "।

सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन

ऊपर बताए गए सिद्धांत और जिन में जोड़ा गया है

इस न्यायालय के अधिकारियों ने ऊपर उद्धृत पर्याप्त दिशानिर्देश [2022] 2 एस. सी. आर. प्रदान किए हैं।

इस न्यायालय के लिए विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेना। इस प्रकार

विशेष अनुमति द्वारा एक आपराधिक अपील, सुनवाई में यह न्यायालय

उच्च न्यायालय के साक्ष्य और निर्णय की जांच करता है

यह निर्धारित करने का सीमित उद्देश्य कि उच्च न्यायालय है या नहीं

ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पालन किया है। जहाँ न्यायालय पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न का कोई उल्लंघन नहीं किया है

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और एक सही दृष्टिकोण बनाया है

और साक्ष्य में उल्लेखनीय विशेषताओं को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया है

जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है, तथ्य के निष्कर्ष सामने आए

में साक्ष्य की सराहना पर उच्च न्यायालय द्वारा

मामले की परिस्थितियों को बाधित नहीं किया जाएगा।

( जोर दिया गया)

उपरोक्त मापदंडों को सहमत राय में पुनर्परिभाषित किया गया था

निम्नलिखित शर्तें - -

" 30. के निर्णय में संदर्भित इस न्यायालय के निर्णय

मेरे विद्वान भाई ने कहा कि यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है

तथ्य के निष्कर्षों के साथ जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि "सारवान और

गंभीर अन्याय किया गया है "। लेकिन क्या ऐसा अन्याय हुआ है?

किसी मामले में किया गया है जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है

मामला, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरी तरह से सूचीबद्ध कर सकता है

हमें परीक्षण अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और द्वारा पुष्टि की गई उच्च न्यायालय इस तरह के किसी भी असाधारण और विशेष का खुलासा नहीं करता है।

परिस्थितियाँ जो पक्ष में किए गए दावे को उचित ठहराएंगी

अपीलार्थी जिनकी अपीलों को हम खारिज करने का प्रस्ताव करते हैं कि

इन मामलों में न्याय की विफलता थी।

19.5 . हमें मामले के कानून को इस बिंदु पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हो सकता है

इसके 3-न्यायाधीशों की पीठ के हाल के फैसलों में से एक का उल्लेख करें।

टी हरि और अन्न के मामले में। वी. उत्तर प्रदेश राज्यः

2018 की आंतरिक अपील संख्या 186 ने 26.11.2021 पर निर्णय लिया। इसमें,

एम. एस. टी. में उपरोक्त उच्चारणों का उल्लेख करते हुए। दलबीर कौर (ऊपर), अदालत ने कहा हैः -

" 19. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य और उच्च न्यायालय के फैसले की जांच सीमित के लिए की जाती है

यह निर्धारित करने का उद्देश्य कि उच्च न्यायालय के पास है या नहीं उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया। यदि उच्च न्यायालय में पी. ए. पी. पी. यू. वी. है।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उक्त सिद्धांतों की कोई त्रुटि या उल्लंघन नहीं किया है और नहीं किया है

साक्ष्य की हड़ताली विशेषताओं को नजरअंदाज या अनदेखा किया गया जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करें, तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचे

में साक्ष्य की सराहना पर उच्च न्यायालय

मामले की परिस्थितियों को बाधित नहीं किया जाएगा। का अनुच्छेद 136

भारत का संविधान एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है जो इस

न्यायालय तब कार्य करता है जब वह विशेष अनुमति द्वारा किसी अपील पर विचार करता है और

यह अधिकारिता, अपनी प्रकृति से, केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब यह

न्याय का गंभीर या गंभीर गर्भपात। प्रशंसा में केवल त्रुटियाँ इस निरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।

यह इस न्यायालय की प्रथा नहीं है कि वह साक्ष्य की फिर से सराहना करे जाँचने का उद्देश्य कि क्या तथ्य का निष्कर्ष समवर्ती रूप से मिलता है

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया सही है

या नहीं। यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां

कुछ प्रकट अवैधता या गंभीर और न्याय का गंभीर गर्भपात

कि यह न्यायालय तथ्य के ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा। 20. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से तर्क के संबंध में

विरोधाभासों और विसंगतियों के संबंध में

चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य, उच्च न्यायालय ने पाया कि के बयानों में इंगित विरोधाभास और विसंगतियाँ

चार चश्मदीद गवाह स्वभाव से तुच्छ थे। कानून का पालन करें इस न्यायालय द्वारा एमपी राज्य बनाम में निर्धारित। रमेश (2011) 4

एस. सी. सी. 786], उच्च न्यायालय ने विरोधाभासों को नजरअंदाज कर दिया और विसंगतियाँ "।

( जोर दिया गया)

20. यहाँ ऊपर जो देखा गया है, उसके योग में, यह है लेकिन

स्पष्ट करें कि उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय/अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 1970 के अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट संभावनाओं के संबंध में इस न्यायालय में नियमित अपील की परिकल्पना की गई है। वर्तमान एक नहीं है इसके अंतर्गत आने वाले मामले और वर्तमान अपीलें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में विशेष अनुमति द्वारा हैं। ऐसी अपील विशेष अनुमति में, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही ऐसी अपील को साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए किसी अन्य मंच के रूप में निपटाया जा सकता है। बेशक, अगर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन को [2022] 2 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय की ओर ले जाने पर, यह न्यायालय और उचित मामलों में, न्याय की गंभीर या गंभीर गर्भपात को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन, ऐसा पाठ्यक्रम केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है। संक्षेप में कहें तो यह नियमित अपील का विषय नहीं है। यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही इन अपीलों का दायरा यह है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश करेगा ताकि निचली अदालत द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।

तथ्य के समवर्ती निष्कर्षः क्या इन अपीलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है

21. जैसा कि देखा गया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम रहा है जिससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी पीड़ित बच्ची के बलात्कार और हत्या के अपराधों के साथ-साथ उसके शव को छिपाने का भी दोषी है। मूल तथ्य, जैसा कि अपीलार्थी के खिलाफ साबित किया गया है, यह है कि मृतक को अंततः अपीलार्थी के साथ देखा गया था जब वह अन्य बच्चों को भगाते हुए मृतक को अपने साथ ले गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि साबित हुआ है, यह है कि पीड़ित बच्चे का शव अपीलार्थी के कहने पर नदी के किनारे एक दूर के स्थान पर बरामद किया गया था।

उक्त दो पहलुओं के साथ यह कारक है कि अपीलार्थी अपने ठिकाने को संतोषजनक रूप से समझाने में विफल रहा था क्योंकि उसे आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था और साथ ही उसके स्थान के बारे में उसकी जानकारी भी थी। मृत शरीर। चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ लिए गए इन तथ्यों और कारकों को परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला कहा जाता है, जिससे अपीलार्थी के अपराध पर निष्कर्ष निकाला जाता है।

22. अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए समवर्ती निष्कर्षों पर इन अपीलों में मामलों की दिशा में निर्देशित प्रस्तुतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सवाल उठाए गए हैं।

साक्ष्य की सराहना। जैसा कि देखा गया है, यह न्यायालय साक्ष्य का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से, मामले की जांच इस दृष्टिकोण से की जा सकती है कि साक्ष्य का कोई गलत अध्ययन या कानून या प्रक्रिया के किसी भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, यानी निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अवैधता से पीड़ित नहीं होने चाहिए। इस अभ्यास को शुरू करते समय, हम उद्धृत निर्णयों में सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए अब तक प्रासंगिक हैं।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

22.1 . के मामले में बताए गए और प्रतिपादित सिद्धांत

एड बर्डहिचंद सारदा (सुप्रा), द्वारा संदर्भित और निर्भर

दोनों पक्षों के लिए एड वकील, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले के सबूत के लिए अदालत के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने रहते हैं। अर्थात्, इस न्यायालय ने हनुमंत बनाम के लोकस क्लासिकस का उल्लेख किया।

मध्य प्रदेश काः ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 ने पाँच स्वर्ण पदक जीते।

आई. पी. एल. एस., और उनके आधार पर एक मामला साबित करने के लिए उन्हें पंचशील नाम दिया

पर्याप्त सबूत। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में खुलासा कियाः -

" 152. ..... महाजन, जे. ने जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता है। हनुमंत मामले में नीचेः

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि निम्नलिखित

अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

कहा जाए कि यह पूरी तरह से स्थापित हैः ( 1 ) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है

तैयार पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" हो सकती हैं

स्थापित किया गया। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।

इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में निर्णय दिया था। की स्थिति

महाराष्ट्र [(1973) 2 एस. सी. सी. 793] जहाँ अवलोकन थे बनाया गयाः

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल दोषी नहीं होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

( 3 ) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और प्रवृत्ति,

( 4 ) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए

सिद्ध करने के लिए और ( 5 ) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि छोड़ न जाए

के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मनुष्यों में

संभावना है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. अगर हम ऐसा कहें तो ये पाँच सुनहरे सिद्धांत हैं -

परिस्थितिजन्य आधार पर किसी मामले के प्रमाण की पंचशील

सबूत।

155. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि जहां तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में सबूत के तरीके का संबंध है, एक कार्पस डिलिक्टि के अभाव में, उसी के सबूत के रूप में कानून का बयान ग्रेसन, जे. (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई) द्वारा किंग v में निर्धारित किया गया था। हॉरी [1952 NZLR 111] इस प्रकारः

" इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को नैतिक रूप से सुनिश्चित करती हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैंः परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस होना चाहिए और एक जूरी को यह समझाने के लिए मजबूर करना कि हत्या के अलावा किसी भी तर्कसंगत परिकल्पना पर तथ्यों का हिसाब नहीं दिया जा सकता है।

156. लॉर्ड गोडार्ड ने "नैतिक रूप से" अभिव्यक्ति को थोड़ा संशोधित किया।

कुछ "द्वारा" ऐसी परिस्थितियाँ जो आयोग को प्रस्तुत करती हैं

अपराध निश्चित "।

157. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है।

कि एक मामले को केवल तभी साबित कहा जा सकता है जब निश्चित हो

और स्पष्ट साक्ष्य और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

नैतिक विश्वास "।

22.1. 1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विशेष रूप से शरद बर्डहिचंद पी. ए. पी. पी. यू. बनाम में उक्त निर्णय के पैराग्राफ 159 से 161 पर भरोसा किया है।

7. निर्णय के उस भाग में, इस न्यायालय ने एक विवाद पर विचार किया

अतिरिक्त महान्यायवादी द्वारा कि यदि बचाव पक्ष का मामला है

यह एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा ताकि अभियोजन को मजबूत किया जा सके इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः -

" 159. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण के अभाव या गलत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय ने पहले जो कहा था, उसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इससे पहले कि एक गलत व्याख्या का उपयोग अतिरिक्त के रूप में किया जा सके लिंक, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

( 1 ) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक

संतोषजनक रूप से साबित किया गया है,

( 2 ) उक्त परिस्थिति अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है

उचित निश्चितता, और

( 3 ) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट होती है।

160. यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो अदालत अदालत को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, ऐसा प्रतीत नहीं होता है

ऐसा मामला। मामले के इस पहलू की जांच की गई

शंकरलाल मामले में [(1981) 2 एस. सी. सी. 35,39] जहाँ यह न्यायालय

इस प्रकार देखा गयाः [ एससीसी पैरा 30, पी। 43 ]

" इसके अलावा, बचाव का झूठ उन तथ्यों के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है। एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ इंगित करती हैं। निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध के लिए "।

161. इसलिए यह न्यायालय हनुमंत मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343] में निर्धारित पाँच शर्तों से किसी भी तरह से अलग नहीं हुआ है।

दुर्भाग्य से, हालांकि, ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने भी

इस निर्णय का गलत अर्थ निकाला और अपीलार्थी द्वारा रखे गए तथाकथित झूठे बचाव का उपयोग श्रृंखला से जुड़ी अतिरिक्त परिस्थितियों में से एक के रूप में किया। परिस्थितियों की एक अधूरी श्रृंखला और एक

परिस्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे श्रृंखला पूरी होने के बाद, केवल अदालत के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है। जहाँ अभियोजन पक्ष [2022] 2 एस. सी. आर. साबित करने में असमर्थ है।

हनुमंत मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343] में निर्धारित किसी भी आवश्यक सिद्धांत में, उच्च न्यायालय किसी झूठे बचाव या झूठी याचिका की सहायता या सहारा लेकर कमजोरी या कमी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल "।

22.2 . सुदर्शन (उपरोक्त) के मामले में, इस अदालत ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया, जिन्होंने घटना के बाद

दो व्यक्तियों की हत्या के मामले में, तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय, 15 किलोमीटर दूर रहने वाले एक वकील से संपर्क किया। तब, अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और उस पर कोई तारीख और समय चिह्नित नहीं था। यह भी नहीं दिखाया गया कि मजिस्ट्रेट के पास कौन और कैसे एफ़. आई. आर. ले गया। तथ्यों के दिए गए समूह में, इस अदालत ने एफ़. आई. आर. को पूर्व-समय पर पाया।

22.3 . अंजन कुमार सरमा (ऊपर) के मामले को अपीलार्थी की ओर से इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया है कि जब अन्य

परिस्थितियाँ सिद्ध नहीं होती हैं, केवल अंतिम बार देखी गई परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती हैं। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने

इसके बाद इस अदालत ने दो परिस्थितियों की जांच की कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और वे आवश्यक पेशकश करने में विफल रहे थे। व्याख्या करते हुए और पाया कि केवल वे परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए श्रृंखला को पूरा नहीं कर रही थीं, जबकि निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः -

" 23. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां अन्य संबंध संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं, पिछली बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति और स्पष्टीकरण का अभाव एक अतिरिक्त संबंध प्रदान करेगा जो श्रृंखला को पूरा करता है। अन्य के प्रमाण के अभाव में

परिस्थितियों, आखिरी बार एक साथ देखी गई एकमात्र परिस्थिति और संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

22.4 . नवजोत संधू (उपरोक्त) के मामले को इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया है कि पहले से ज्ञात तथ्य का अनुसरण नहीं किया जा सकता है।

पुलिस हिरासत में एक आरोपी द्वारा दिए गए बयान पर। पैराग्राफ में प्रासंगिक भाग से पता चलता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 चांदी के पाउडर के एक विशेष पैकेट के संबंध में लागू नहीं पाई गई थी, जिसमें दुकान का नाम था और इस प्रकार, यह पाया गया कि दुकान का नाम और पता पहले से ही पुलिस को पता था।

तब भी, इस न्यायालय ने कहा कि पी. ए. पी. पी. यू. बनाम की ओर इशारा करते हुए अभियुक्त का आचरण।

दुकान और उसका मालिक अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक होंगे।

साक्ष्य अधिनियम।

22.5 . डी. के. बसु (ऊपर) में निर्णय को इस निवेदन के समर्थन में संदर्भित किया गया है कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करने की आवश्यकता है। रम्मी उपनाम रामेश्वर (उपरोक्त) के मामले में, यह पता चलने के बाद कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय के बारे में भौतिक विसंगति थी, इस न्यायालय ने पुलिस हिरासत में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी पर हथियार की बरामदगी के बारे में आई. ओ. के साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उक्त मामले में, चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीय गवाही के संदर्भ में दोषसिद्धि को बनाए रखा गया था।

22.6 . राज कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले में, अभियुक्तों के सामने प्रासंगिक परिस्थितियों को रखने की आवश्यकता की पुष्टि की गई है। यह भी अभिनिर्धारित करते हुए कि वे परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जाँच में नहीं रखी गई हैं, उसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है और इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

22.7 . अघनू नागेसिया (ऊपर) के मामले को यह प्रस्तुत करने के लिए उद्धृत किया गया है कि अभिरक्षा प्रकटीकरण के दोषपूर्ण हिस्से हैं

अस्वीकार्य और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा शव को घसीटने की कथित स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

22.8 . अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलोच (ऊपर) में निर्णय

इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया है कि वसूली की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया: -

" 38. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने स्वयं राय दी कि नौ महीने के बाद बरामद होने के बाद, हथियार कई हाथों में बदल गया होगा। अभियुक्त को हत्या के अपराध से जोड़ने वाले किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में

हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि अपीलार्थी इस तरह के निंदात्मक साक्ष्य के आधार पर

दंड संहिता की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी पाया गया। "

22.9 . रमेश चंद्र अग्रवाल (उपरोक्त) का मामला चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित है और उसमें मुद्दे हैं।

इसमें शामिल विशेषज्ञ साक्ष्य की प्रासंगिकता के बारे में था जहां यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा उपचार में त्रुटियों के कारण बाधित था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 20. एक विशेषज्ञ तथ्य का गवाह नहीं होता है और उसका साक्ष्य वास्तव में एक सलाहकार चरित्र का होता है। एक विशेषज्ञ गवाह का कर्तव्य न्यायाधीश को निष्कर्षों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड प्रस्तुत करना है ताकि न्यायाधीश मामले के साक्ष्य द्वारा साबित तथ्यों पर इन मानदंडों को लागू करके अपना स्वतंत्र निर्णय तैयार कर सके। वैज्ञानिक राय साक्ष्य, यदि बोधगम्य, विश्वसनीय और परखा जा सकता है, तो एक कारक बन जाता है और अक्सर मामले के अन्य साक्ष्यों के साथ विचार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ऐसे गवाह की विश्वसनीयता उसके निष्कर्षों के समर्थन में बताए गए कारणों पर निर्भर करती है और

प्रस्तुत डेटा और सामग्री जो उसका आधार बनती है

निष्कर्ष "।

22.10 . नूर आगा (उपरोक्त) के मामले में विशेष रूप से सबूत के विपरीत बोझ से संबंधित सिद्धांत विचार के लिए सामने आया क्योंकि इस न्यायालय ने मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 35 और 54 के प्रावधानों पर विचार किया। यह न्यायालय,

अलिया, निम्नानुसार देखा गयाः -

" 58. अधिनियम की धारा 35 और 54, निस्संदेह, अनुमानों को उठाती हैं।

अभियुक्त की ओर से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के संबंध में और इस ओर से सबूत का भार भी अभियुक्त पर डालते हुए; लेकिन उक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अनुमान केवल अभियुक्त के मुकदमे में ही काम करेगा। यदि उसमें निहित परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभियोजन पक्ष पर एक प्रारंभिक बोझ मौजूद है और केवल जब यह संतुष्ट हो जाता है, तो कानूनी बोझ बदल जाएगा। फिर भी, अभियुक्त के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक अभियोजन पक्ष के बराबर नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, लेकिन यह अभियुक्त पर "संभावना की प्रधानता" है। यदि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 35 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है, तो अधिनियम का कारण यह है कि

अभियुक्त को स्थापित नहीं कहा जा सकता है।

22.11 . जस्टिन (उपरोक्त) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने पॉक्सो की धारा 29 और 30 की वैधता को चुनौती देते हुए इस आवश्यकता को रेखांकित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने के बाद ही अनुमान का खंडन करने का कर्तव्य हैई अभियुक्तक विरुद्ध अपराध आरोप लगाओल गेल अछि।

22.12 . जॉन डेविड (ऊपर) के मामले में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि

जब अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपराध की किसी वस्तु की बरामदगी होती है जो परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करती है, तो ऐसी जानकारी जो खोज की ओर ले जाती है, स्वीकार्य है। यह भी माना गया है कि जांच प्रक्रिया में छोटी खामियां और अनियमितताएं मामले का सार नहीं बन सकती हैं, जिस पर आरोपी साबित करने के लिए भरोसा कर सकता है

उसकी बेगुनाही, जब जांच से ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य का पता चलता है जो तार्किक और तर्कसंगत रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहाः -

" 72. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपराध वस्तुओं की बरामदगी परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करती है। इनमें से एक की व्याख्या करने में भी विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए परिस्थितियाँ घातक नहीं होंगी और सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसे मामलों में देखा जाना चाहिए।

मामले। इस मोड़ पर हम महसूस करते हैं कि कर्नाटक राज्य बनाम में इसका उल्लेख करना उचित है। के. यारप्पा रेड्डी [(1999) 8 एससीसी 715]

न्यायालय ने कहा हैः ( एस. सी. सी पी. 720, पैरा 19)

" 19. ..... जांच अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर आपराधिक मुकदमों में अदालत का वर्चस्व और प्रमुखता होनी चाहिए। आपराधिक न्याय नहीं किया जाना चाहिए।

जाँचकर्ता द्वारा की गई गलतियों के लिए एक हताहत

मामले में अधिकारी। दूसरे शब्दों में, यदि अदालत आश्वस्त है कि घटना के गवाह की गवाही सच है तो अदालत उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

73. इसलिए, जांच प्रक्रिया में छोटी खामियां और अनियमितताएं मामले का सार नहीं बन सकती हैं, जिस पर प्रतिवादी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भरोसा कर सकता है।

उक्त जाँच से प्राप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो तार्किक और तर्कसंगत रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं।

22.13 . साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतिम देखे गए सिद्धांत और संचालन के संबंध में, काशी राम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्याख्या और निर्धारित किया हैः -

" 23. अधिकारियों के साथ गुणा करना आवश्यक नहीं है। सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान अपने आप में स्पष्ट और स्पष्ट हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो बोझ [2022] 2 एस. सी. आर.

उस तथ्य को साबित करना उसके ऊपर है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने कंपनी कैसे और कब अलग की। उसे एक ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो अदालत को संभावित और संतोषजनक लगे। यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए माना जाना चाहिए। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में यदि अभियुक्त उस पर लगाए गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो यह स्वयं उसके खिलाफ साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत के बोझ को स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह नियम निर्धारित करता है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके भीतर हैं।

ज्ञान और जो उसकी निर्दोषता के साथ संगत किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सका, अदालत किसी भी स्पष्टीकरण को जोड़ने में उसकी विफलता पर विचार कर सकती है, एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में जो श्रृंखला को पूरा करती है। नैना मोहम्मद में इस सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया है। ,

री. [ ए. आई. आर. 1960 मैड 218]

24. राज्य के वकील के तर्क में काफी बल है कि इस मामले के तथ्यों में भी यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी को मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के बाद, यह साबित करने का बोझ उस पर था कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वे तथ्य उसके विशेष ज्ञान में थे। चूँकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वह ऐसा करने में विफल रहा

धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन

साक्ष्य अधिनियम। इसलिए यह परिस्थिति परिस्थितियों की श्रृंखला में एक लापता कड़ी प्रदान करती है जो उसके अपराध को इससे परे साबित करती है। उचित संदेह "।

23. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में इस मामले में आग्रह किए गए शब्दों की जांच कर सकते हैं।

24. चुनौती देने की मांग करते हुए, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील

दोषसिद्धि पर, इन तर्कों को सामने रखा है कि एफ़. आई. आर. के संभावित समय से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, तीन प्रमुख आरएस पर प्रकाश डाला गया हैः सबसे पहले, कि गवाह पीडब्लू-3 के अनुसार, विज्ञापन में 10 बजे शव देखा गयाः 00 ए. एम. 14.05.2015 पर हालांकि तब तक उस एफ. आई. आर. को दर्ज नहीं किया गया था; दूसरा, कि एफ. आई. आर. में ही, माँ और पीड़ित बच्चे ने विश्वास के साथ कहा कि मृतक के साथ पी. ए. पी. पी. यू. बनाम बलात्कार किया गया था।

एफ. आई. आर. दर्ज करना; और तीसरा, कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के समय लोगों की उपस्थिति के संबंध में और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत पीड़ित बच्चे की मां का बयान दर्ज करने के समय के संबंध में विसंगतियां थीं और यह भी कि इस संबंध में अस्पष्टता थी। न्यायालय में एफ. आई. आर. भेजने में सी. आर. पी. सी. की धारा 157 का अनुपालन।

24.1 . हम इस पंक्ति के साथ खुद को मनाने में असमर्थ हैं

प्रस्तुतियाँ; बल्कि, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ये कारक, चाहे व्यक्तिगत रूप से लिए गए हों या सामूहिक रूप से लिए गए हों, इस मामले में निर्धारण की मांग करने वाले प्रश्नों के निर्णायक नहीं हो सकते हैं। परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंध में साक्ष्य का समग्र दृष्टिकोण ही मामले का निर्णायक है। हालाँकि, हम संकेत दे सकते हैं कि उपरोक्त कारकों के संदर्भ में आग्रह किए गए विवाद अपनी कमियों को दर्शाते हैं।

24.2 . यह सच है कि बच्चे-गवाह पीडब्लू-3 आशना ने कहा जैसे कि वह घटनास्थल पर गई थी और 10 बजे शव को देखा थाः 00 उ. प्र. सुबह, लेकिन तब, उक्त बाल-गवाह अपने बयान के समय लगभग 10 वर्ष की थी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रही थी। समय के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से अपरिष्कृत या शौकिया थी, जो

24.3 . इसी तरह, पीड़ित बच्ची की मां पीडब्लू 1 निशा द्वारा शिकायत में किया गया स्पष्ट दावा, कि उसके विश्वास के अनुसार, बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी और मृत शरीर को अपीलार्थी द्वारा छुपाया गया था, को भी इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है कि उसे अपीलार्थी द्वारा शाम को अपनी बेटी को ले जाने की जानकारी थी और वह पूरी रात अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। यह इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि वह निस्संदेह एक देहाती ग्रामीण थी और यहाँ तक कि किसी और से शिकायत भी लिखवाती थी। पुनः, साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय उसकी पृष्ठभूमि पर सचेत रूप से ध्यान देते हुए उसकी गवाही से उभरने वाले मामले के सार और मूल को देखा है।

24.4 . इसके अलावा, यह भी कि पीडब्लू-1 निशा के साथ पुलिस स्टेशन कौन गया, यह एक ऐसा कारक नहीं है जिसके लिए एफ़. आई. आर. को पूर्व-समय पर लिया जा सकता है। पीडब्लू-1 निशा और पीडब्लू-2 अनीता का कहना था कि वे दोनों आईडी-1 के दोपहर से पहले ही पुलिस स्टेशन गए थे। बेशक, पीडब्लू-7 नागेंद्र सिंह के बयानों में यह सामने आया है कि पीडब्लू-4 अमेबडकर पीडब्लू-1 निशा के साथ पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन संबंधित पुलिस स्टेशन में तैनात उक्त पुलिस अधिकारी के बयान में होने वाली इतनी मामूली विसंगति रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य को दरकिनार नहीं कर सकती है। इसके अलावा, वह वही व्यक्ति था जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी और इस गवाह को कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी ने शव देखा था। इसी तरह, पीडब्लू-8, आई. ओ. ने शुरू में प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने जांच संभालने के बाद अगले दिन शिकायतकर्ता का बयान लिया, लेकिन उसके बाद, यह कहने के लिए खुद को सही किया कि उसने मामला दर्ज करने के बाद दोपहर लगभग 2 बजे उसका बयान लिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पहलू पर भी विधिवत ध्यान दिया गया है और अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को इस तथ्य के संदर्भ में खारिज कर दिया गया है कि आई. ओ. ने जांच के डेढ़ साल बाद स्मृति से गवाही दी थी; और पीडब्लू-7 ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता का बयान एस. एच. ओ. द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख पर लिया गया था और उसके बाद, उसने जांच शुरू की। इसके अलावा, भले ही न्यायालय में एफ. आई. आर. भेजने की तारीख और समय के बारे में विवरण प्रपत्र में नहीं बताए गए थे, लेकिन इसे केवल पुलिस कर्मचारियों की ओर से एक प्रक्रियात्मक गलती के रूप में माना जा सकता है।

24.5 . इस मामले में बार-बार यह तर्क दिया गया है कि पहले से ज्ञात तथ्य को बयान के अनुसार खोजा नहीं जा सका है। अभियुक्त द्वारा बनाया गया-पुलिस हिरासत में अपीलार्थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, तर्क की इस पंक्ति को मामूली और संदर्भ के साथ विकसित किया गया है।

गवाहों के बयान में अप्रासंगिक विसंगतियां, विशेष रूप से पी. ए. पी. पी. यू. v.

विसंगतियाँ या अनियमितताएँ मामले के सार और साक्ष्य में साबित महत्वपूर्ण तथ्यों को दूर नहीं कर सकती हैं। नवजोत संधू (उपरोक्त) के मामले में पुलिस को पहले से ज्ञात तथ्यों के बारे में दिए गए निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। उस समय के संबंध में ऐसी कोई भौतिक विसंगति नहीं है जब पुलिस ने अपीलार्थी को हिरासत में लिया था, क्योंकि गवाहों द्वारा लगातार गवाही दी गई है और अदालतों द्वारा स्थापित किया गया है कि आई. ओ. ने लगभग 2 बजे पुलिस स्टेशन से शुरुआत की थीः 00 आई. डी. 1 पर अपराह्न में और दोपहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अपीलार्थी को पकड़ लिया। फिर, उसने गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना शुरू कर दिया और साथ ही, अपीलार्थी के उस स्थान पर ले जाने के लिए सहमत होने के बाद अपीलार्थी को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने शव फेंका था। इस प्रकार, डी. के. बसु और रम्मी उपनाम रामेश्वर (ऊपर) के सिद्धांत भी अपीलार्थी के लाभ को सुनिश्चित नहीं करते हैं।

25. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, यह स्पष्ट है कि यहाँ या वहाँ कुछ विसंगतियाँ यह स्थापित नहीं करती हैं कि एफ़. आई. आर. पहले की थी। समय पर या कि मृत शरीर को पहले ही किसी ने देखा था

एफ. आई. आर. दर्ज करना। जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्षों को दर्ज करते समय, तथाकथित विसंगतियों/विसंगतियों को या तो तुच्छ प्रकृति का या विधिवत समझाने से पहले निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिवत ध्यान दिया गया है। हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की इस तरह की सराहना में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

अभियोजन मामले में। उदाहरण के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस स्थान के संबंध में विसंगति रही है जहाँ अन्य बच्चे और अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से लुभाने से पहले मृतक खेल रहे थे

मृतक; कि गवाह पीडब्लू-2 ने आधी रात और 1 के बीच अपीलार्थी से मिलने के बारे में कहा थाः 00 ए. एम. 14.05.2015 पर लेकिन ऐसे तथ्य पी. डब्ल्यू.-1 या पी. डब्ल्यू.-8 द्वारा नहीं बताए गए थे। इन और ऐसे अन्य छोटे कारकों को किसी भी प्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं कहा जा सकता है ताकि एक उचित समाधान तैयार किया जा सके।

अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह; बल्कि, इस तरह के मामूली बदलाव गवाहों द्वारा अपने बयानों की स्वाभाविक प्रस्तुति हैं। विद्वान। वकील ने आगे कहा कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 एक भी ग्रामीण का नाम नहीं बता सके जिनके घर वे मृतक की तलाश में गए थे।

इस तरह के तर्क में कोई तर्क भी नहीं मिल पा रहा है। यह कहना बहुत दूर की बात है कि उसके द्वारा लापता बच्चे की खोज का तथ्य भी माँ और चाची को किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। विद्वान वकील ने अपनी दलीलों पर इस हद तक विस्तार किया है कि अभियोजन पक्ष के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए

उन व्यक्तियों की जाँच करना जिनके नाम अभिलेख में सामने आए थे। इस तरह का विवाद तर्कहीन बना हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने के लिए सभी आवश्यक गवाहों से पूछताछ की गई है। ये सिद्धांत

अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध भौतिक साक्ष्य को प्रस्तुत न करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना इस मामले में दूर से भी अमल में नहीं आता है। संक्षेप में कहें तो तथाकथित विसंगतियां उस मामले के सार को दूर नहीं करती हैं जहां अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला की ओर ले जाने वाले मौलिक तथ्यों को स्थापित किया। साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण से, पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयान वास्तविक प्रतीत होते हैं और उनमें विसंगतियां या विसंगतियां प्रतीत होती हैं

प्राकृतिक चरित्र जो उनके व्यक्तियों से उत्पन्न होने की संभावना है

पृष्ठभूमि. यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ वर्तमान अपील में, रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं की जानी चाहिए जैसे कि यह नियमित अपील का मामला हो।

27. मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष को एक साथ खोजने में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। केस ने साबित किया कि 13.05.2015 पर, शाम के लगभग साढ़े छह बजे, जब मृतक पीडब्लू के साथ खेल रहा था-3 आशना और अन्य बच्चे

कुशीनगर के सबाया खास गाँव के अपीलार्थी ने रु। 20 पी. डब्ल्यू.-3, बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए। इन मिठाइयों को उनके बीच वितरित करने के बाद, मृतक को अपीलार्थी द्वारा यह सुझाव देकर लुभाया गया कि वे एक साथ जाएं और खेत से लीची तोड़ें। जब अन्य बच्चों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, तो उसने उन्हें डांटकर दूर भेज दिया, उठाया और मृतक को अपनी पीठ पर रख दिया, और खेत की ओर चला गया। गवाही बाल साक्षी पी. डब्ल्यू.-3 की आशना इन तथ्यों के संबंध में स्पष्ट है और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, भले ही वह उसकी हो।

समय और घंटों की समझ में परिपक्वता में कमी प्रतीत होती है। दस साल के बच्चे से ऐसी परिपक्वता की उम्मीद करना अवास्तविक होगा। देहाती पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा। मृतक की मौसी पी. डब्ल्यू.-2 अनीता ने भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में पी. डब्ल्यू.-3 की पुष्टि की है, जिससे यह स्थापित होता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था। वास्तव में, साक्ष्य स्पष्ट रहा है कि यह केवल अपीलार्थी ही था जिसने मृतक को अपने साथ जाने के लिए लुभाया और इसके बजाय पी. ए. पी. पी. यू. v. ले गया।

उसकी पीठ पर मृत बच्चा। पीडब्लू-2 अनीता ने इस तथ्य की भी गवाही दी है कि उसने अपीलार्थी को मृत बच्चे को घर की खिड़की से ले जाते देखा था।

घर खड़े थे और मृत बच्चे की मां पी. डब्ल्यू.-1 निशा बैठी थी। यह पीडब्लू-1 निशा के बयान को भी स्पष्ट करता है कि उसने अपीलार्थी को मृत बच्चे को लेते हुए भी देखा था। प्रस्तुतिकरण कि इन महिलाओं ने शाम को एक आदमी द्वारा बच्चे को लेने की अनुमति क्यों दी, जिसे उन्होंने शराबी बताया, फिर से, सबूत की सराहना के मामले में केवल बाल-विभाजन अभ्यास का प्रयास है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में, जहां अपीलार्थी एक पड़ोसी और एक ही समुदाय का व्यक्ति था, महिलाओं के लिए बच्चे के प्रति अपीलार्थी के इरादे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं हो सकता था। यह दावा कि महिलाओं ने पूरी रात बच्चे की तलाश की, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती क्योंकि अगर सात साल की बच्ची देर तक घर नहीं लौटी, तो जाहिर है, उनसे बच्चे की तलाश करने की उम्मीद की जाती थी। तथ्य यह है कि जबकि

पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 द्वारा लगातार कहा गया है। बेशक, पीडब्लू-2 ने कहा कि वह पिछली आधी रात को अपीलार्थी से मिली थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि पीडब्लू-1 उस समय उसके साथ नहीं थी। यह भी बताया गया है कि महिलाएँ पुलिस से संपर्क करने के लिए कदम नहीं उठा सकीं क्योंकि प्रासंगिक समय पर, यानी रात के दौरान 13.05.2015 और 14.05.2015, उनके साथ कोई सहायक व्यक्ति नहीं था। 27.1 . मामले का योग और सार यह है कि हम इस निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं कि मृतक को अंतिम रूप से अपीलार्थी के साथ देखा गया था। यह निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर एक ठोस निष्कर्ष बना हुआ है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।

28. जहाँ तक अपीलार्थी की सूचना पर पीड़ित बच्चे के शव की खोज के तथ्य का संबंध है, जैसा कि संकेत दिया गया है।

ऊपर, वही स्थिति प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा साबित होती है।

गवाहों में पीडब्लू-4 अम्बेडकर और पीडब्लू-8 आईओ शामिल हैं। जैसा कि देखा गया है, ऐसा लगता है कि इस मामले के आई. ओ. ने जांच के कागजात सावधानीपूर्वक तैयार नहीं किए हैं और यहां तक कि मृत शरीर की खोज और अपीलार्थी की गिरफ्तारी का ज्ञापन भी एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया था (उदा. का-2)। हालाँकि, उक्त दस्तावेज़ का एक अवलोकन पूर्व। पी. डब्ल्यू.-4 अम्बेडकर और पी. डब्ल्यू.-8 आई. ओ. सहित प्रासंगिक गवाहों द्वारा विधिवत साबित किए गए के. ए.-2 से यह स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक तथ्य इससे स्थापित होते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आई. ओ. द्वारा ज्ञापन तैयार करने में केवल अनियमितता ही अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के तथ्य को गलत नहीं ठहराएगी जिससे शव की खोज हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. निवेदन कि कथन में दोषपूर्ण भाग

हिरासत में रहते हुए पुलिस के समक्ष अपीलकर्ता को 'घसीटने' की तरह मृत शरीर ', जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है, भी सही नहीं है। विचारण न्यायालय अनिवार्य रूप से स्थल योजना पर निर्भर था (उदा. के. ए.-15), जहाँ यह संकेत दिया गया था कि टाइलों वाले खेत के ऊपर गेहूं के ढेर को रौंदने वाली एक रेखा स्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी (पैराग्राफ 9.4 यहाँ ऊपर)। इस प्रकार, अघनू नागेसिया (ऊपर) में निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है

30. अंजन कुमार सरमा (ऊपर) के मामले में सिद्धांत कि केवल अंतिम बार देखी गई परिस्थिति का आधार नहीं बन सकता है अब्दुलवहाब अब्दुलमाजिद बलूच (उपरोक्त) में भी यह विश्वास कि वसूली की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है, वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है, जहां 'अंतिम बार देखी गई' और 'अपीलार्थी द्वारा प्रकटीकरण के अनुसार वसूली' की दोनों परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियों की श्रृंखला में मजबूत संबंध बनाती हैं, रिकॉर्ड पर विधिवत स्थापित की गई हैं।

31. यह शायद ही संदेह या बहस का विषय है कि जब 'अंतिम बार देखा गया' साक्ष्य ठोस और भरोसेमंद होता है जो यह स्थापित करता है कि मृतक

32. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के खिलाफ कथित अपराधों के मूलभूत तथ्य स्थापित किए गए हैं। दी गई परिस्थितियों में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि धारा 29 पॉक्सो द्वारा परिकलित अनुमान पी. ए. पी. पी. यू. v. आया।

कार्रवाई में आ गया और भार अपीलार्थी के पास रह गया; और यह उसके लिए था कि वह इस धारणा का खंडन करे और यह साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया था। अपीलार्थी एहि भारक निर्वहन करबामे असफल रहल अछि। इसी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो नूर आगा और जस्टिन के फैसले

( उपर्युक्त) अपीलार्थी के बचाव में न आएं; बल्कि उसमें बताए गए सिद्धांतों और धारा 29 पी. ओ. एस. सी. ओ. के संदर्भ में, अनुमान केवल अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा।

33. राज कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले के संदर्भ में अनावश्यक रूप से यह तर्क दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ में जिन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से

जब हम पाते हैं कि सभी सामग्री और दोषपूर्ण परिस्थितियों को वास्तव में अपीलार्थी के सामने रखा गया है।

34. अनावश्यक रूप से यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही बचाव पक्ष के मामले को झूठा माना जाए, लेकिन यह परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का गठन नहीं करेगा। यह परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए कोई अतिरिक्त कड़ी लेने का नहीं है, बल्कि बचाव के असफल प्रयास से सुझाव देने का है। भूमि विवाद के कारण शत्रुता, यह स्पष्ट है कि पीड़ित की माँ के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाने का निर्देश देने का कोई दूरस्थ कारण भी नहीं था, जबकि वास्तविक अपराधी को, यदि अपीलार्थी के अलावा कोई अन्य था, भागने की अनुमति दी गई थी। वास्तव में, कथित शत्रुता के संबंध में अव्यवस्थित सुझाव भी अजीब प्रकृति के थे, जहां पीडब्लू-1 को यह सुझाव दिया गया था कि अपीलार्थी को 'गाँव की शत्रुता' के लिए फंसाया गया था, जबकि पीडब्लू-2 को सुझाव 'गुटबाजी' का था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी सही संकेत दिया है कि कथित भूमि विवाद के प्रति कुछ भी ठोस सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि मूल तथ्य भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी या

उसका परिवार गोकुल को की गई किसी भी बिक्री से चिंतित था?

34.1 . भूमि विवाद के कारण शत्रुता की आधारहीन बचाव याचिका और निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा इसके विचार की जांच करने के बाद

अदालत, हम संतुष्ट हैं कि इस असफल बचाव याचिका का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में नहीं किया गया है। इसे केवल एक अतिरिक्त आश्वासन देने वाली परिस्थिति के रूप में संदर्भित किया गया है, यह पता लगाने के बाद कि अन्य सभी परिस्थितियाँ अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती हैं। शरद बर्डीहिचंद सारदा (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 159 से 161 में बताए गए सिद्धांत, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाते हैं।

35. रमेश चंद्र अग्रवाल (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में तर्कों की एक और विस्तृत पंक्ति भी कोई सहायक नहीं है।

अपीलार्थी को। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने बताया था कि अंडरवियर पर 'शुक्राणुओं और शुक्राणुओं' के निशान पाए गए थे।

जाँच अधिकारी। किसी भी मामले में, यह तर्क देना भी दूरगामी है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले आरोप पत्र में आरोपित नहीं किया जा सकता था। उक्त रिपोर्ट केवल पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य थे, लेकिन अन्य तथ्य सीधे रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे, विशेष रूप से मृत शरीर की स्थितियों के अनुसार। सात वर्षीय बालिका, जैसा कि घटनास्थल पर देखा गया है और फिर शव परीक्षण रिपोर्ट में बताए गए निजी अंगों सहित भीषण चोटों के प्रासंगिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रमेश में निर्णय

चंद्र अग्रवाल (ऊपर) अपीलार्थी की ओर से इस मामले में आग्रह की गई दलीलों का समर्थन नहीं करते हैं।

36. इस मामले में एक अजीब सी दलील यह रही है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत 2 से 3 दिन पहले हुई थी।

15.05.2015 का; और इस तरह की परीक्षा से दो दिन पहले का अनुमान उस सिद्ध समय से मेल खाता है जब मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, यानी लगभग 6: 30 13.05.2015 पर अपराह्न। वास्तव में, संकेत में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट केवल इस प्रभाव के लिए है कि अपीलार्थी ने बच्चे को कोई समय नहीं दिया और अपने कुकर्मों को अंजाम दिया

उसे साथ ले जाने के तुरंत बाद।

37. इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ आग्रह की गई प्रमुख दलीलों की जांच करने के बाद भी विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, हम विकृति या पी. ए. पी. पी. यू. बनाम का कोई मामला नहीं पाते हैं।

प्रकट अवैधता जिसके लिए ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। मामले के समग्र दृष्टिकोण से, इस मामले में यह संदेह से परे साबित होता है कि असहाय बच्चा, सात साल की बेटी शिकायतकर्ता, अमानवीय व्यवहार किए जाने और यौन हमलों के अधीन होने के बाद उसके वीभत्स अंत का सामना किया; कि पीड़ित को अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया जब उसने उसे लुभाया और उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों को दूर भगाते हुए लीची के फल तोड़ने और खाने के लिए साथ ले गया; कि पीड़ित बच्चे का शव अपीलार्थी के कहने पर बरामद किया गया था; और यह कि अपीलार्थी अपने ठिकाने और मृत शरीर के स्थान के बारे में संतोषजनक रूप से समझाने में विफल रहा। चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप रहे हैं और फिर, भूमि विवाद के कारण शत्रुता का बचाव संस्करण गलत साबित होता है। यह स्थिति होने के कारण, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य है।

साक्ष्य शरद बर्डीहिचंद सारदा (ऊपर) के पंचशील सिद्धांतों का जवाब देते हैं। अपीलार्थी को निचली अदालत ने ठीक ही दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि को सही ही बनाए रखा है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों के इस भाग को अस्वीकार कर दिया गया है।

क्या मृत्युदंड बरकरार रखा जाए या किसी अन्य सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए

38. यहां तक कि जब हम तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं जिससे दोषसिद्धि होती है, तब भी प्रश्न अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की शुद्धता के बारे में बना रहता है। सजा, जब एक प्राकृतिक जीवन की समाप्ति की होती है, तो स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) की वैधानिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में गहन जांच की आवश्यकता होती है।

39. धारा 354 (3) सी. आर. पी. सी. की आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं: -

" ( 3 ) जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए होती है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण और मृत्युदंड की सजा के मामले में, ऐसी सजा के विशेष कारण बताए जाएंगे।

40. हमें इस चर्चा को सभी उद्धृत निर्णयों पर विस्तार के साथ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उठाए गए मुद्दों और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, हम ऐसे मामलों में सजा देने के प्रश्न से निपटने के लिए कानूनी स्थिति और मानदंडों के विकास और मौत की सजा देने के लिए 'विशेष कारणों' के अर्थों को उपयोगी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40.1 . बचन सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने दो व्यापक मामलों की जांच की

सवाल - पहला, क्या आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी गई मौत की सजा असंवैधानिक थी; और यदि नहीं, तो क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में सजा देने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। इस आधार पर असंवैधानिक कि इसने न्यायालय को निर्देशित और अनियंत्रित विवेक के साथ निवेश किया, जिसने मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में मनमाने ढंग से मौत की सजा देने की अनुमति दी।

40.1. 1 . विभिन्न विशेषताएँ और कारक जिनमें संबंधित कारक भी शामिल हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और 21 की इस न्यायालय द्वारा पहले प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए जांच की गई थी, जो वर्तमान मामले में प्रभावी नहीं हैं। बचन सिंह में उद्धरणों का प्रासंगिक भाग दूसरे प्रश्न के संबंध में था, जहां, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि विधायिका ने स्पष्ट रूप से सामान्य सजा के रूप में आजीवन कारावास और अपवाद के रूप में मृत्युदंड को प्राथमिकता दी थी। इस विधायी नीति के संचालन और अनुप्रयोग के लिए, इस न्यायालय ने कई मामलों की भी जांच कीः

पिछले निर्णय, विशेष रूप से जगमोहन सिंह बनाम का मामला। यू. पी. का राज्य : ( 1973 ) 1 एस. सी. सी. 20 और प्रस्तावों को निम्नानुसार संशोधित कियाः -

" 164. धारा 354 (3) में वर्णित विधायी नीति के अनुरूप

और 235 (2), जगमोहन में प्रस्ताव (iv) (a) और (v) (b) [(1973)

1 एस. सी. सी. 20] को पुनर्गठित करना होगा और इसे निम्नानुसार कहा जा सकता हैः

" ( क) सामान्य नियम यह है कि हत्या का अपराध होगा -

आजीवन कारावास की सजा। अदालत ने

उस नियम से हटकर मौत की सजा दे सकते हैं।

केवल तभी जब ऐसा करने के लिए विशेष कारण हों। इस तरह के कारण

( ख) सजा के प्रश्न पर विचार करते समय धारा 30 के तहत हत्या के अपराध के लिए अधिरोपित

दंड संहिता, अदालत को हर प्रासंगिक को ध्यान में रखना चाहिए

अपराध के साथ-साथ अपराधी से संबंधित परिस्थिति।

एक असाधारण रूप से भ्रष्ट और जघन्य चरित्र और इसका गठन, इसके डिजाइन और इसके तरीके के कारण

निष्पादन, बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर खतरे का स्रोत,

अदालत मौत की सजा दे सकती है। "

( जोर दिया गया)

40.1. 2 . इस न्यायालय ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में विशेष कारण

सी. आर. पी. सी. की धारा 354 (3) का अर्थ स्पष्ट रूप से असाधारण कारण होगा, जिसका अर्थ है कि अत्यधिक दंड केवल चरम मामलों में ही लगाया जाना चाहिए। इस अदालत ने कहाः -

" 161. ..... इस संदर्भ में "विशेष कारण" अभिव्यक्ति प्रावधान, स्पष्ट रूप से "असाधारण कारणों" पर आधारित है

संबंधित विशेष मामले की असाधारण रूप से गंभीर परिस्थितियाँ

अपराध के साथ-साथ अपराधी को भी। अतः विधायी नीति

अब धारा 354 (3) के सामने बड़ा और स्पष्ट लेखन यह है कि

में दंडनीय हत्या और अन्य मृत्युदंड अपराधों के लिए दोषसिद्धि

दंड संहिता के तहत मौत के साथ वैकल्पिक, चरम दंड केवल चरम मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए। "

( जोर दिया गया)

40.1. 3 . इस न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि

सजा सुनाना संभव नहीं होगा क्योंकि कोई भी दो आपराधिक मामले समान नहीं थे और मानकीकरण से न्यायिक विवेक के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और इसके अलावा, सजा के विवेक का मानकीकरण कानून के क्षेत्र से संबंधित एक नीतिगत मामला था। इस न्यायालय ने, निश्चित रूप से, उत्तेजक परिस्थितियों के साथ-साथ शमन करने वाले कारकों का भी उल्लेख किया,

लेकिन दोहराया कि न्यायालय एक विस्तृत गणना को एक तरह से करने का प्रयास करके न्यायिक विवेकाधिकार को बाधित नहीं करेगा या

अन्य "। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने अंततः 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले' सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित कियाः

" 209. कई अन्य परिस्थितियाँ हैं जो इसे उचित ठहराती हैं

हल्के वाक्य का पारित होना; क्योंकि वहाँ काउंटरवेलिंग हैं

बिगड़ने की परिस्थितियाँ "। हम स्पष्ट रूप से एक में भोजन नहीं कर सकते

न्यायिक कंप्यूटर ऐसी सभी स्थितियाँ क्योंकि वे ज्योतिषीय हैं

एक अपूर्ण और लहरदार समाज में अभेद्य। फिर भी,

इसे खत्म नहीं किया जा सकता-इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसे कम करने का दायरा और अवधारणा

मृत्युदंड के क्षेत्र में कारकों को एक उदार और सजा सुनाने के अनुसार अदालतों द्वारा व्यापक निर्माण

धारा 354 (3) में पॉलिसी रिट। न्यायाधीशों को कभी नहीं होना चाहिए

रक्तपिपासु। हत्यारों को फांसी देना कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है।

उन्हें। संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े, हालांकि अधूरे हैं

भारत का, दिखाता है कि अतीत में, अदालतों ने चरम सीमा को लागू किया है

अत्यधिक विरलता के साथ दंड-एक तथ्य जो इसकी पुष्टि करता है

" बचन सिंह (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 169-175,202 और 206 के माध्यम से

इतने गंभीर मामले में उनके सजा सुनाने के विवेक का प्रयोग करने पर। इसलिए, यह चिंता व्यक्त करना अनिवार्य है कि अदालतें सहायता करती हैं।

व्यापक सचित्र गाइड द्वारा-हमारे द्वारा इंगित पंक्तियाँ, निर्वहन करेंगी

सदाबहार सावधानी और मानवीयता के साथ कठिन कार्य

चिन्ता, में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च मार्ग के साथ निर्देशित

धारा 354 (3) अर्थात। कि हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए, आजीवन कारावास

और मानव जीवन की गरिमा के लिए स्थायी चिंता प्रतिरोध को स्वीकार करती है कानून के साधन के माध्यम से एक जीवन लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।

दुर्लभतम मामलों में किया जाता है जब वैकल्पिक विकल्प है

निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित "।

( जोर दिया गया)

40.2 . माछी सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ

इस बात पर विचार करते हुए कि क्या मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के दायरे में आता है।

जहाँ अपीलार्थी को साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था

इसे पूरा करने में, जिसके परिणामस्वरूप 17 लोगों की हत्या हो गई

लिली झगड़ा। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ मृत्यु से संबंधित दर्शन को इस प्रकार समझायाः -

" 32. ..... समुदाय का प्रत्येक सदस्य ऋणी है

इस सुरक्षा के लिए समुदाय। इसके बजाय जब कृतघ्नता दिखाई जाती है

समुदाय के किसी सदस्य की "हत्या" करके कृतज्ञता व्यक्त करना जो

हत्यारे को खुद को मारे जाने से बचाता है, या जब समुदाय महसूस करता है कि आत्म-संरक्षण के लिए हत्यारा

मार दिया जाना है, समुदाय सुरक्षा वापस ले सकता है

मृत्युदंड की मंजूरी देकर। लेकिन समुदाय ऐसा नहीं करेगा

सामूहिक विवेक इतना हैरान है कि यह धारकों की अपेक्षा करेगा न्यायिक शक्ति केंद्र को मृत्युदंड देने के लिए चाहे जो भी हो

वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय मृत्युदंड को बनाए रखना। समुदाय इस तरह का मनोरंजन कर सकता है

भावना जब अपराध को मंच से देखा जाता है

अपराध के लिए उद्देश्य या अपराध करने का तरीका। 40.2. 1 . इस अदालत ने बचन सिंह के प्रस्तावों को भी समझाया।

क) और उन प्रस्तावों को लागू करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न

पंखों के मार्गः -

" 38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह में बताए गए दिशानिर्देश

मामला [(1980) 2 एस. सी. सी. 684] को निकालकर पी. ए. पी. पी. यू. v. पर लागू करना होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ई प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्य जहां लागू करने का प्रश्न है

मृत्युदंड मिलता है। निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं -

एम. बचन सिंह मामला [(1980) 2 एस. सी. सी. 684]:

( i) मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि

अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों में।

'अपराध' की परिस्थितियों के साथ। ( (iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक

प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त दंड अपराध की परिस्थितियाँ, और केवल प्रदान की गई,

आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प नहीं हो सकता है

अपराध की परिस्थितियाँ और सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ। ( (iv) उग्रता और शमन की एक तुलनपत्र

और उग्रता के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाना होगा और विकल्प से पहले कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं

व्यायाम किया।

. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित

धारणाएँ पूछी जा सकती हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है:

आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा की मांग?

( ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि

इसके बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं

शमन के लिए अधिकतम भार के अनुसार कौन सी परिस्थितियाँ अपराधी के पक्ष में बोलती हैं?

. यदि सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए

उपरोक्त प्रस्ताव का प्रकाश और ध्यान में रखते हुए

ऊपर दिए गए प्रश्नों, परिस्थितियों की शपथ लेते हैं।

मामला ऐसा है कि मौत की सजा वारंट है, अदालत

ऐसा करने के लिए आगे बढ़ें "।

( जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40.3 . स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) में निर्णय था

इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने इस पृष्ठभूमि में कहा कि यद्यपि इस न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 के तहत अपराधों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने महसूस किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोषी के स्वाभाविक जीवन के अंत तक कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा, जबकि दूसरे विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि अपीलार्थी मृत्युदंड के अलावा कुछ भी योग्य नहीं है। प्रायश्चित्त के निरंतर बढ़ते हुए सिद्धांतों और न्यायपूर्ण न्याय के विकास की चिंता को ध्यान में रखते हुए,

न्यायसंगत और उचित तरीके से, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने मृत्युदंड नहीं देने की प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन दोषी को उसके शेष जीवन के लिए जेल से रिहा नहीं करने की शर्त के साथ आजीवन कारावास की सजा दी। न्यायालय ने इस तरह की सजा के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में समझाया, जो छूट की उपलब्धता को ओवरराइड करता हैः -

असमान रूप से अपर्याप्त। जब कोई अपीलार्थी निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा लेकर इस अदालत में आता है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, यह न्यायालय, जैसा कि वर्तमान अपील में पाया जा सकता है, कि यह मामला दुर्लभतम से कम है।

श्रेणी और मृत्यु का समर्थन करने में कुछ अनिच्छुक महसूस कर सकते हैं वाक्य। लेकिन साथ ही, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय दृढ़ता से महसूस कर सकता है कि आजीवन कारावास की सजा

छूट के अधीन कारावास आम तौर पर 14 साल की अवधि के लिए होता है जो अत्यधिक अनुपातहीन और अपर्याप्त होगा। फिर अदालत को क्या करना चाहिए? यदि न्यायालय का विकल्प सीमित है केवल दो दंडों के लिए, एक कारावास की सजा, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, 14 वर्ष से अधिक नहीं और दूसरी मृत्यु, न्यायालय प्रलोभन महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित पा सकता है। इस तरह का रास्ता वास्तव में विनाशकारी होगा। एक कहीं अधिक न्यायपूर्ण, उचित और उचित मार्ग होगा

विकल्पों का विस्तार करना और उन चीज़ों को संभालना जो वास्तव में, कानूनी रूप से न्यायालय से संबंधित हैं, यानी 14 के बीच का विशाल अंतराल

वर्षों का कारावास और मृत्यु। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा।

क्योंकि मामले के तथ्यों में, 14 साल की सजा ' कारावास किसी भी सजा के बराबर नहीं होगा।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

93. इसके अलावा, वाक्य की एक विशेष श्रेणी का औपचारिकरण, हालांकि बहुत कम मामलों के लिए, होगा

मामले। यह केवल संविधान पीठ की पुनः पुष्टि होगी। बचन सिंह में निर्णय आधुनिक के अनुसार होने के अलावा

पेनोलॉजी में रुझान "।

( जोर दिया गया)

40.4 . रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम। गुजरात राज्य

: ( 2009 ) 5 एस. सी. सी. 740, न्यायालय एक युवक द्वारा एक छोटी बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई कर रहा था। इसमें भी, इस न्यायालय की 2-न्यायाधीशों की पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने सजा के प्रश्न पर मतभेद व्यक्त किया। एक विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है, यदि वे परिस्थितियाँ निर्दोष प्रकृति की होतीं और इसका सजा के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं होता। यदि साक्ष्य की परिस्थितिजन्य प्रकृति थी

इसे एक कम करने वाली परिस्थिति माना जाता है, यह एक अप्रासंगिक पहलू पर विचार करने के बराबर होगा, क्योंकि वही सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त ठोस पाई गई थी। यह दोहराया गया कि सजा सुनाने के लिए जो विचार किया जाना था, वह था परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों का संतुलन। दूसरे विद्वान न्यायाधीश,

तथापि, यह मत व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान नहीं किया था कि उसे सुधारा जा सकता है और राय दी कि न्यायालय को निष्पक्ष सजा नीति के लिए अभियुक्त के अधिकार से अनजान नहीं होना चाहिए। नतीजतन, इस मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप रमेशभाई चंदुभाई मामले में निर्णय हुआ।

राठौड़ (2) v. गुजरात राज्यः ( 2011 ) 2 एससीसी 764। 3-न्यायाधीशों की पीठ इस विचार से सहमत थी कि निचली अदालत इस बात पर निर्णय देने के लिए बाध्य थी कि क्या आरोपी को सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है; और यह कि आरोपी की कम उम्र (केवल 27 वर्ष की आयु), उसके पक्ष में काम करने वाला एक शमन कारक था। हालाँकि, यह भी देखा गया कि अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का व्यवहार और ऐसी घटनाओं से समाज में पैदा होने वाला भय और चिंता भी ऐसे कारक थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ अन्य निर्णयों में अपनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, मृत्युदंड को अपीलार्थी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया, लेकिन इस मामले में किसी भी छूट या परिवर्तन के अधीन।

सरकार के अच्छे और पर्याप्त कारणों से।

40.5 . ऐसे प्रस्ताव, जिनके द्वारा इस न्यायालय ने विशेष श्रेणी की सजा के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया था

मृत्युदंड के प्रतिस्थापन ने इस न्यायालय में और अधिक बहस को जन्म दिया और संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया जिसका उत्तर वी. श्रीहरण (ऊपर) में दिया गया। माफी की शक्तियों के संबंध में संवैधानिक पीठ को कई प्रश्न भेजे गए थे, लेकिन उन सभी पहलुओं को यहां विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। मामले का प्रासंगिक भाग पहले प्रश्न से संबंधित है, जैसा कि निर्देश आदेश के पैराग्राफ 52.1 में कहा गया है। तीन न्यायाधीशों के बहुमत ने स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) में अनुपात को मंजूरी दी, जिसमें बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी का प्रावधान किया गया था। यद्यपि अल्पमत की राय इस बात पर सहमत थी कि आई. पी. सी. की धारा 45 के साथ पठित धारा 52 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ केवल दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास है, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत प्रदान की गई छूट, परिवर्तन आदि का दावा करने का अधिकार हमेशा उपलब्ध होगा, लेकिन, उपरोक्त विशेष श्रेणी की सजा को मंजूरी देने वाली बहुमत की राय के दूसरे भाग से इस तर्क के साथ सहमत नहीं था कि वास्तविक कारावास की अनिवार्य अवधि प्रदान करने का ऐसा तरीका धारा 433-ए. सी. आर. पी. सी. के साथ असंगत होगा। बहुमत का विचार है कि

इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा निम्नानुसार हैः -

" प्रश्न 52.1: क्या आजीवन कारावास के संदर्भ में

दंड संहिता की धारा 45 के साथ पठित धारा 53 का अर्थ था

कैदी या दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास

आजीवन कारावास से गुजरने वाले को माफी का दावा करने का अधिकार है

और क्या स्वामी श्रद्धानंद (2) के पैरा 91 से 93 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, बहुत कम मामलों में सजा दी जा सकती है जहाँ मृत्यु हो जाती है।

दंड को दंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है

आजीवन कारावास या चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास और उस श्रेणी को लागू करने से परे रखना

माफी?

जवाब दीजिए।

177. दंड संहिता की धारा 45 के साथ पठित धारा 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ केवल कारावास है।

संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत प्रदान किए गए परिवर्तन, विलंब आदि हमेशा संवैधानिक होने के नाते उपलब्ध रहेंगे। न्यायालय द्वारा अछूत उपचार।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

178. हम मानते हैं कि स्वामी में निर्धारित अनुपात

श्रद्धानंद (2) कि वाक्य की एक विशेष श्रेणी; इसके बजाय

मृत्युदंड के स्थान पर कारावास की सजा दी जा सकती है।

जीवन के लिए या 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और उस श्रेणी को रखें

छूट के अनुप्रयोग से परे अच्छी तरह से स्थापित है और हम जवाब देते हैं

उक्त प्रश्न सकारात्मक है। "

( जोर दिया गया)

40.6 . रविशंकर (ऊपर) में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ

अपीलार्थी के अपहरण, बलात्कार और परिणामस्वरूप 13 वर्षीय लड़की की मौत और सबूतों को नष्ट करने के अपराधों की दोषसिद्धि की पुनः पुष्टि की गई। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रश्न पर था।

इस न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या मृत्युदंड उचित था। यद्यपि इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उस मामले में भी जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वास्तव में मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन फिर यह अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ा कि यह न्यायालय 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत को तेजी से लागू कर रहा था, जो प्रभावी रूप से मृत्युदंड की अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए, नियमित मृत्युदंड के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, दोषसिद्धि के चरण में उपयोग किए जाने वाले 'उचित संदेह से परे' मानक के ऊपर और ऊपर सबूत का एक उच्च मानक बनाता है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए और कुछ 'अवशिष्ट संदेहों' का संकेत देते हुए, यह माना गया कि उक्त मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले से कम है। उस मामले में भी, न्यायालय ने मृत्युदंड को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।

40.7 . शत्रुघ्न बबन मेशराम (ऊपर) में, एक और 3-न्यायाधीश

इस अदालत की पीठ ने ढाई साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा दिए जाने के खिलाफ अपील पर विचार किया

15 में पुष्टि हुई, लेकिन 3 में, बाद में समीक्षा में जीवन में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए, 67 मामलों में से केवल 12 में मौत की सजा की पुष्टि हुई। जहां तक सजा सुनाने में मार्गदर्शक कारकों का संबंध है, यह माना गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों में मृत्युदंड देने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य निर्विवाद चरित्र का होना चाहिए। कम सजा के विकल्प के साथ। न्यायालय ने 'अवशिष्ट संदेह' के सिद्धांत की भी जांच की; और इस न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के सर्वेक्षण के बाद, निम्नानुसार कहा गयाः

" 75.4 . ये विशेषताएं केवल यह कहने के लिए उदाहरणात्मक हैं कि "अवशिष्ट संदेह" का सिद्धांत जो विकसित हुआ, वह अपनाई गई प्रक्रिया में विशिष्टता का परिणाम था। फिर भी, ध्यान देने योग्य सामग्री यह है कि

इस सिद्धांत को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार खारिज कर दिया गया है और जैसा कि ओ 'कॉनर, जे द्वारा कहा गया है। : " हमारे मामलों में कुछ भी सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं था

मृत्युदंड में "।

इसके बाद, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया, जिसमें 'अवशिष्ट संदेह' के उक्त सिद्धांत का उल्लेख किया गया था।

जिसमें अशोक देबबर्मा उपनाम अचक देबबर्मा बनाम शामिल है। की स्थिति

त्रिपुराः ( 2014 ) 4 एस. सी. सी. 747, और यह बताया गया कि उन मामलों पर व्यक्तिगत तथ्य स्थिति के दृष्टिकोण से विचार किया गया था।

जहाँ, मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए उच्च या कठोर मानक के अनुसार, मृत्युदंड का विकल्प उचित पाया गया।

40.8 . राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक (उपरोक्त) के मामले में, अपीलार्थी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तीन वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ), 377 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि इस न्यायालय में उनकी अपील खारिज कर दी गई थी और समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन उनकी समीक्षा याचिका को बाद में फिर से खोल दिया गया और 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं था कि यदि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सुधार की संभावना सहित विभिन्न कारकों पर विचार नहीं किया, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

" 47. सुधार, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पर विचार

सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] ने सजा देने की प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और सुधार या सुधार पर विचार करने की आवश्यकता को पेश किया।
दोषी का पुनर्वास। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बावजूद, कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ को बरियार [संतोष कुमार पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 498: ( 2009 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1150] और संगीत बनाम. की स्थिति

हरियाणा [संगीत बनाम। हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: ( 2013 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] जहाँ अपराध को प्रधानता देने और अपराधी को कुछ हद तक गौण तरीके से मानने की प्रवृत्ति है। जैसा कि संगीत में देखा गया है [संगीत v. हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: ( 2013 ) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] "सजा सुनाने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष और अदालतों को यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसा व्यक्ति, उसके बावजूद अपराध में सुधार और
पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ विशेषज्ञों द्वारा इसके विश्लेषण के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक एकीकरण नहीं हो सकता है।

संभव है। यदि ऐसा होना चाहिए, तो लंबी अवधि का विकल्प

कारावास की अनुमति है। "

40.9 . कालू खान (ऊपर) के मामले में, अपराध और अपराधी और घृणित से संबंधित विभिन्न कारकों की जांच करते हुए

अपराध की प्रकृति के माध्यम से परिलक्षित परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि अभियुक्त अपीलार्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अतिरिक्त न्यायिक साक्ष्य शामिल थे।

स्वीकारोक्ति। तथ्यों के दिए गए समूह में, इस न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

40.10 . एम. ए. एंटनी (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने रेखांकित किया कि एक दोषी से संबंधित सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी लिया जाना चाहिए।

आजीवन कारावास या मृत्युदंड देने के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से विचार करना।

40.11 . मोहम्मद में। मन्नान (ऊपर), इस न्यायालय ने सजा सुनाने की प्रक्रिया में लागू होने वाले कानून के प्रस्ताव को संक्षेप में प्रस्तुत किया। निम्नलिखित शब्दों में मामलेः -

" 72. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव सामने आता है, वह अपने आप में मौत की सजा है, सिवाय इसके कि

दुर्लभतम मामलों में, जिनके लिए विशेष कारण [2022] 2 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक प्रक्रिया की धारा 354 (3) में अनिवार्य रूप से अभिलिखित

दुर्लभ से दुर्लभ, क्रूरता, और/या वीभत्स और/या जघन्य अपराध की प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है। यह सिर्फ अपराध नहीं है

जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना है, लेकिन अपराधी को भी, उनके मन की स्थिति, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि। पुरस्कार प्रदान करना

मृत्युदंड एक अपवाद है, और आजीवन कारावास नियम है। " "

"

40.12 . शंकर किसनराव खाड़े (ऊपर) में, एक के सर्वेक्षण के बाद

विभिन्न प्रकार के मामले और 'अपराध' को लागू करने की आवश्यकता को इंगित करते हुए

' आपराधिक परीक्षण 'और' दुर्लभतम परीक्षण ', इस न्यायालय ने कहा,

पिछले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, गंभीर परिस्थितियाँ (अपराध और कम करने वाली परिस्थितियाँ (आपराधिक परीक्षण) इस प्रकार हैं: -

" 49. बचन सिंह और माची सिंह के मामलों में, यह अदालत

सजा देने के लिए विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए गए: ( राजेन्द्र

प्रल्हादराव मामला, एस. सी. सी. पीपी. 47-48 , पैरा 33)

" " बिगड़ती परिस्थितियाँ (अपराध परीक्षण)

( 1 ) जघन्य अपराधों से संबंधित अपराध

जैसे अभियुक्त द्वारा हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि।

मृत्युदंड या अपराधों के लिए दोषसिद्धि के पूर्व रिकॉर्ड के साथ

गंभीर बीमारी का एक महत्वपूर्ण इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हमले और आपराधिक दोषसिद्धि।

( 2 ) अपराध तब किया गया था जब अपराधी था

एक अन्य गंभीर अपराध में लिप्त।

( 3 ) अपराध एक बनाने के इरादे से किया गया था

बड़े पैमाने पर जनता में मनोविकृति का डर था और सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध था

एक हथियार या उपकरण द्वारा स्थान जो स्पष्ट रूप से खतरनाक हो सकता है

एक से अधिक व्यक्तियों का जीवन।

( 4 ) हत्या का अपराध फिरौती या इसी तरह के लिए किया गया था।

धन या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध।

( 5 ) किराए पर हत्याएँ। ( 6 ) अपराध केवल इच्छा के लिए किया गया था

जबकि पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना शामिल है।

( 7 ) अपराध एक व्यक्ति द्वारा किया गया था जब वह वैध था।

अभिरक्षा।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

( 8 ) हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से गिरफ्तारी या हिरासत जैसे अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए किया गया था।

स्वयं या किसी अन्य के वैध कारावास का स्थान। उदाहरण के लिए, हत्या उस व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का वैध निर्वहन किया था।

( 9 ) जब अपराध पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करने जैसे अनुपात में भारी हो।

( 10 ) जब पीड़ित निर्दोष हो, असहाय हो या कोई व्यक्ति निर्भर हो

संबंधों और सामाजिक मानदंडों के विश्वास पर, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या भतीजी जो एक पिता/चाचा के साथ रहती है और ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा अपराध के लिए उकसाया जाता है।

( 11 ) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता का प्रमाण देता है।

( 12 ) जब बिना उकसावे के निर्मम हत्या की जाती है।

( 13 ) अपराध इतनी बेरहमी से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि जनता की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है। समाज।

परिस्थितियों को कम करना (आपराधिक परीक्षण)

( 1 ) जिस तरह से और परिस्थितियों में अपराध किया गया था, उदाहरण के लिए, सामान्य पाठ्यक्रम में इन सभी स्थितियों के विपरीत अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक गड़बड़ी या अत्यधिक उत्तेजना।

( 2 ) अभियुक्त की आयु एक प्रासंगिक विचार है लेकिन अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है।

सुधार और पुनर्स्थापित। ( 4 ) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और दोष ने उसकी सराहना करने की क्षमता को बाधित कर दिया

उसके आपराधिक आचरण की परिस्थितियाँ। ( 5 ) ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवन के सामान्य क्रम में इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती हैं और जिनका प्रभाव हो सकता है -

उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म देना जैसे कि लगातार उत्पीड़न या वास्तव में, मानव व्यवहार के इस तरह के शिखर की ओर ले जाना [2022] 2 एस. सी. आर.

कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था। ( 6 ) जहां साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर न्यायालय का विचार है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था।

( 7 ) जहाँ एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित है, हालाँकि अभियोजन पक्ष ने उसे घर लाया है। अभियुक्त का अपराध "। "

इस अदालत ने आगे कहाः -

" 52. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिगड़ती परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं हैं, इसलिए कम करने वाली परिस्थितियाँ भी हैं। मेरे विचार में, मौत की सजा देते समय हमें जिन परीक्षणों को लागू करना है, वे हैं "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण", न कि "संतुलन परीक्षण"। मृत्युदंड देने के लिए, "अपराध परीक्षण" को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए, यानी, 100% और "आपराधिक परीक्षण" 0 प्रतिशत, यानी आरोपी के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं। यदि अभियुक्त के पक्ष में कोई परिस्थिति है, जैसे कि

अपराध करने का इरादा, सुधार की संभावना, युवा

अभियुक्त की आयु, समाज के लिए खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आदि "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त को मृत्युदंड से बचने के लिए अनुकूल हो सकता है। भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी पूरी हद तक बिगड़ती परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ न हों, फिर भी हमें अंत में दुर्लभतम मामले के परीक्षण (आर-आर परीक्षण) को लागू करना होगा। आर-आर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है और नहीं

" न्यायाधीश-केंद्रित ", अर्थात, क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं। उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और समाज के प्रति घृणा जैसे विभिन्न कारकों पर गौर करना पड़ता है।

यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कुछ प्रकार के अपराध

बौद्धिक रूप से अक्षम नाबालिग लड़कियां, शारीरिक अक्षमता से पीड़ित, उन अक्षमताओं वाली बूढ़ी और कमजोर महिलाएं, आदि। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। अदालतें मौत की सजा देती हैं क्योंकि स्थिति की मांग संवैधानिक मजबूरी के कारण होती है, जो लोगों की इच्छा से परिलक्षित होती है न कि न्यायाधीशों की इच्छा से। पी ए पी पी यू वी।

40.13 . धनंजय चटर्जी (ऊपर) का मामला, जो 11.01.1994 पर तय किया गया था, लगभग 18 साल की एक युवा लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला था; और इस अदालत ने बलात्कार करने के बाद निर्मम और पूर्व नियोजित हत्या के लिए मौत की सजा की पुष्टि करना उचित पाया। इसमें, इस न्यायालय ने अनिवार्य रूप से अपराध के अत्याचार का उल्लेख किया

पीड़ित की रक्षाहीन और असुरक्षित स्थिति; और कहा कि उचित सजा का अधिरोपण वह तरीका है जिसमें अदालतें

अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब दें। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

अदालतें अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं। न्याय की मांग है कि अदालतों को उचित सजा देनी चाहिए अपराध ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करें। अदालतों को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपराध के पीड़ितों और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। "

40.14 . लक्ष्मण नाइक (उपरोक्त) का मामला, जो 22.02.1994 पर तय किया गया था, एक 7 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के अपराध का था।

चाचा। इस न्यायालय ने तथ्य स्थिति का विश्लेषण किया और कहाः -

" 27. वर्तमान मामले के कठोर तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी

लक्ष्मण मृतक के चाचा हैं और लगभग एक अभिभावक के पद पर आसीन हैं। नतीजतन, पीड़ित, जिसकी आयु लगभग 7 वर्ष थी, ने अवश्य ही अपीलार्थी में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया होगा और अपीलार्थी में इस तरह के विश्वास और विश्वास को दोहराते समय उसे उसकी ईमानदारी पर विश्वास होना चाहिए और यह इस तरह के विश्वास और विश्वास के कारण था कि उसने अपीलार्थी के आदेश पर इस धारणा के तहत उसके साथ काम किया कि उसे अपीलार्थी के पूर्व नियोजित अपवित्र मंसूबों की परवाह किए बिना उसके गाँव ले जाया जा रहा था। पीड़ित एक पूरी तरह से असहाय बच्चा था, जहाँ रेगिस्तान में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, जहाँ अपीलार्थी उसे अपनी वासना को पूरा करने के लिए उसके आत्मविश्वास का दुरुपयोग करते हुए ले गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने

शैतानी तरीकों का सहारा लेकर अपराध करने की पूर्व योजना बनाई और इसी उद्देश्य से वह लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया। अपने नृशंस कृत्य को अंजाम दें। "[2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40.15 . कामता तिवारी (ऊपर), 04.09.1996 पर निर्णय लिया, फिर से था

बलात्कार का एक मामला जिसके बाद मृतक के परिवार के करीबी व्यक्ति द्वारा 7 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई और मृतक उसे "तिवारी अंकल" कहता था। आरोपी द्वारा लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और बाद में शव को कुएं में फेंक दिया गया। ऐसा लगता है कि अपराध की व्यापकता और विश्वास के दुरुपयोग ने इस अदालत को मौत की सजा की पुष्टि करने में मदद की है।

41. यह आसानी से देखा जा सकता है कि जबकि इस न्यायालय ने उचित मामलों में उचित सजा के लिए समाज के आह्वान के लिए निवारक के रूप में और उचित प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करने के लिए क़ानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है, लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, यानी मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि इसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो और अन्य सामाजिक कारणों और सामूहिक कार्यों को पूरा करने के लिए न हो।

समाज का विवेक। इससे 'दुर्लभतम से दुर्लभतम परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन

आजीवन कारावास की सजा देते समय, विशेष रूप से वर्तमान जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने के दौरान, छूट या समय से पहले रिहाई के अधिकारों में कटौती करने के लिए एक और मध्यम दृष्टिकोण का भी नेतृत्व किया है।

एक.

41.1 . हम इस प्रकार विकसित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में सजा के प्रश्न से निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और

इस न्यायालय द्वारा आवेदन किया गया।

42. यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अपराध की घृणित प्रकृति को ही अपराध माना है।

वर्तमान मामले में मृत्युदंड देने का निर्णायक कारक। के रूप में

यह देखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने 07.12.2016 पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया और अगले दिन, सजा देने के लिए आगे बढ़े। विचारण न्यायालयक विवादित सजा आदेश एहि बातक संकेत नहि दैत अछि कि की अपीलार्थीकेँ प्रासंगिक सामग्रीकेँ अभिलेख पर आनि परिस्थितिकेँ कम करबाक मामला बनेबाक लेल उचित अवसर देल गेल छल। सजा सुनाने का आदेश भी संतुष्ट करने में विफल रहता है यदि निचली अदालत ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला मानने से पहले सचेत रूप से कम करने वाले कारकों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण यह था कि आरोपी-अपीलार्थी घटना के समय लगभग 33-34 वर्ष का था और उसे समझदार माना जाता था।

पी ए पी पी यू वी। उत्तर प्रदेश राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अगर उसके द्वारा इस तरह का जघन्य अपराध किया जाता है, तो इस मामले में किसी भी तरह की दया दिखाना उचित नहीं है।

सजा '। हालांकि उच्च न्यायालय ने बच्चों के बलात्कार और क्रूर हत्या के खतरे के साथ-साथ इस तरह के अपराध के प्रति समाज की घृणा पर भी कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन इसके बाद, एक सरसरी टिप्पणी के साथ मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा है कि कोई पर्याप्त शमन कारक नहीं थे और गंभीर परिस्थितियां बहुत थीं।

42.1 . दूसरे शब्दों में, विवादित आदेश देने और पुष्टि करने के लिए

मृत्युदंड को केवल अनुमानात्मक निष्कर्ष कहा जा सकता है, जहां यह माना गया है कि भयानक अपराध और इसकी घृणित प्रकृति के कारण मृत्युदंड दिया जाना है। बचन सिंह (उपरोक्त) से शुरू होने वाले प्रासंगिक निर्णयों में निर्धारित परीक्षणों और मानदंडों ने मुकदमे में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है।

न्यायालय और उच्च न्यायालय। यह बहुत उपयोगी और प्रासंगिक होता यदि उच्च न्यायालय, मृत्युदंड की पुष्टि के प्रश्न पर विचार करते हुए और अपराध की घृणित प्रकृति और समाज पर इसके घृणित प्रभाव के संबंध में कई टिप्पणियां करते हुए, निम्नलिखित से संबंधित समान रूप से प्रासंगिक पहलू पर भी उचित विचार करताः इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य दंड के विकल्प को बंद कर दिया गया था, कारकों को कम करना। सजा सुनाते समय इस मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को केवल अस्वीकृत किया जा सकता है और हम ऐसा बिना किसी अनिश्चित शर्त के करते हैं।

43. ऊपर जो देखा और आयोजित किया गया है, वह हमें इस सवाल के साथ छोड़ता है कि क्या वर्तमान मामले में, मृत्युदंड है

इसके लिए कहा जाता है या इसे किसी अन्य वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

43.1 . अपराध की जघन्य प्रकृति जैसे कि वर्तमान में

सात साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या, निश्चित रूप से भयावह परिस्थितियों का खुलासा करती है, विशेष रूप से जब इसका तरीका

कमीशन भ्रष्टता दिखाता है और विवेक को झकझोर देता है। लेकिन, साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह बहुत गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, उसका परिवार है

जिसमें पत्नी, बच्चे और बूढ़े पिता शामिल हैं, और निर्दोष जेल है।

12 उच्च न्यायालय के शब्दों में, 'अभियुक्त व्यक्ति-अपीलार्थी पप्पु का क्रूर कार्य समाज के विश्वास को झकझोर देता है और सामाजिक ताने-बाने के ताना-बाना को तोड़ देता है' (2022) 2 एस. सी. आर.

आचरण करें। जब इन सभी कारकों को एक साथ जोड़ा जाता है और यह भी कल्पना की जाती है कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, तो हमारे विचार में, इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आने के रूप में मानना असुरक्षित होगा। इसे अलग तरह से रखते हुए, जब अपीलार्थी को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं दिखाया जाता है और वह कठोर अपराधी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। उनका बेदाग जेल आचरण और पत्नी, बच्चों और वृद्ध पिता का परिवार होना भी उनके सुधार की संभावना की ओर संकेत करेगा।

43.2 . ऐसा कहने के बाद, हम देख सकते हैं कि जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से अन्य तर्क हैं, के सिद्धांत के संदर्भ में

' अवशिष्ट संदेह ', संबंधित हैं, शत्रुघ्न बबन मेशराम (ऊपर) में इस न्यायालय के बाद के 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में यह कहा गया था कि उक्त सिद्धांत, जो अमेरिकी क्षेत्राधिकारों में अपनाई गई प्रक्रिया में विशिष्टता के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है, को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समर्थन नहीं मिला है। हमें वर्तमान मामले में इस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुधार और पुनर्वास की संभावना का मजबूत शमन कारक, विशेष रूप से अपीलार्थी के पूर्ववृत्त और पृष्ठभूमि के संदर्भ में उसके संतोषजनक जेल आचरण के साथ, मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का मामला बनाता है।

44. हालांकि, और यहां तक कि जब वर्तमान मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं लिया जाता है, ताकि इसे समाप्त करने की आवश्यकता हो

अपीलार्थी के जीवन में अभी तक, समग्र रूप से समाज की अंतरात्मा पर विचाराधीन अपराधों के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है

समान प्रकृति के अपराधों से जुड़े विभिन्न मामलों में अपनाए गए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए न्यायसंगत और उचित, जहां, पूंजी आने-जाने के दौरान भी

सजा, इस न्यायालय ने पर्याप्त समय के लिए अनिवार्य वास्तविक कारावास से पहले समयपूर्व रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास का प्रावधान किया है।

45. वर्ष 2015 में अपराध के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 33-34 वर्ष थी। समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे विचार में, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित और उचित होगा, जबकि न्यूनतम 30 साल की वास्तविक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान होगा। इस मामले की परिस्थितियों और अपीलार्थी को दिए गए अन्य दंडों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान करना भी उचित और उचित है कि सभी मूल दंड एक साथ चलेंगे।

निष्कर्ष

46. तदनुसार, इन अपीलों की आंशिक रूप से निम्नलिखित में अनुमति दी गई हैः

तरीका - -

( i) आई. पी. सी. की धारा 376,302,201 और पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा को छोड़कर उसे दी गई सजा की पुष्टि की जाती है। ( (ii) आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है।

इस शर्त के साथ कि अपीलार्थी 30 (तीस) वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से गुजरने से पहले समयपूर्व रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा।

( iii) जुर्माने की राशि और चूक की शर्तों सहित अपीलार्थी को दी गई सजा की अन्य शर्तों की भी पुष्टि की जाती है। मृतक लड़की की माँ को जुर्माने की राशि का आधा भुगतान करने के निर्देश की भी पुष्टि की जाती है।

( (iv) अपीलार्थी को दी गई सभी मूल सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी।

47. इन अपीलों और लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

तदनुसार। देविका गुजराल

अपीलों की

आंशिक रूप से अनुमति है।